f}rh; v/;k;: vk|kfxd uhfr;k d vrxRk m|kxk dk nh xb NV ,o vunku ij fu"iknu y[kkijh{kk

e[;k'k

शासन द्वारा समय समय पर घोषित औद्योगिक नीतियों के तहत् उद्योगों को विद्युत शुल्क के भुगतान से पूर्ण छूट प्रदान की गई। ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार स्वंय की खपत पर ही विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गई है। उद्योग विभाग द्वारा ऊर्जा विभाग एवं ऊर्जा अधिनियम, 2003 के अनुसार औद्योगिक नीति में उचित प्रावधान नहीं किये जाने से शासन को ₹ 6.03 करोड़ से वंचित होना पड़ा।

¼dfMdk 2-10½

यद्यपि औद्योगिक नीति में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की अवधि निर्धारित की गई है, किन्तु औद्योगिक नीति में विकल्प की वजह से किसी एक औद्योगिक नीति में छूट का उपभोग करने पर उसका निर्धारण करने बाबत् औद्योगिक नीति में प्रावधान के अभाव में उद्योगों को एक से अधिक नीति में छूट प्रदान की गई।

¼dfMdk 2-11½

उद्योग विभाग मुद्रांक शुल्क से छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी करता है जिसके आधार पर वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग मुद्रांक शुल्क से छूट प्रदान करता है। लाभप्राप्त उद्योग द्वारा मुद्रांक शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी दिनांक से दो से पाँच वर्ष तक की अवधि मं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक हैं। यह देखा गया है कि उद्योग विभाग द्वारा अनुवर्ती छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक को पूर्ववर्ती जारी छूट प्रमाण पत्र में उल्लेखित वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ करने के दिनांक से सीमित नहीं किया गया जिसके कारण औद्योगिक नीति में निर्धारित समयावधि से अवधि बढ़ गई।

¼dfMdk 2-12½

उद्योग विभाग द्वारा शवलिकरण हेतु ₹ 1.68 करोड़ के मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट एक ऐसे उद्योग को प्रदान की जो न तो उसके वर्तमान उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की शर्त का पालन कर रहा था और न ही नये उत्पाद के वाणिज्यिक उत्पादन औद्योगिक नीति जिसमें लाभान्वित हुआ था के समयावधि में प्रारंभ किया था।

¼dfMdk 2-18½

एक उद्योग जो छूट हेतु पात्र था, अपनी एक इकाई का विक्रय ऐसे उद्योग को किया जो किसी भी छूट हेतु पात्र नहीं था। विक्रीत इकाई जो अब अपात्र उद्योग का भाग थी जिसे ₹ 1.08 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनियमित छूट प्रदान की गई।

¼dfMdk 2-19½

औद्योगिक नीति के अपात्र उद्योगों की श्रेणी में सम्मलित औद्योगिक नीति में उल्लेखित किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है। किन्तु, उद्योग विभाग ने ₹ 76. 29 लाख की छूट एवं अनुदान ऐसे उद्योग को प्रदान की जो अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मलित था।

¼dfMdk 2-20½

औद्योगिक नीति में उल्लेखित शर्त के अनुसार कोई भी उद्योग जो औद्योगिक नीति के तहत् लाभ प्राप्त करता है तो उसे कम से कम पाँच वर्ष तक निरंतर रूप से कार्य करना चाहिए। उद्योग विभाग में निगरानी प्रणाली का अभाव होने के कारण, तीन उद्योगों निरंतर रूप से कार्य करने में विफल रहे साथ ही पाँच उद्योगों की स्थापना भी नहीं हो सकी। इन उद्योगों द्वारा छूट/रियायत के रूप में ₹ 7.38 करोड़ का उपभोग किया जो वसूलनीय था।

¼dafMdk 2-25 ,oa 2-27½

2-1 iLrkouk

छत्तीसगढ शासन ने राज्य में विभिन्न अवधि 2001–06, 2004–09, 2009–14 एवं 2014–19 के औद्योगिक नीतियों की घोषणा की है।

औद्योगिक नीति की कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है:

(अ) कोर सेक्टर के समांतर अन्य संबंधित क्षेत्रों में विकास को बढावा देना और उद्योगों को विभिन्न प्रकार की छूट एवं अनुदान प्रदान कर राज्य के स्थानीय निवासियों को स्वरोजगार के साथ अतिरिक्त रोजगार भी उपलब्ध कराना,

(ब) समाज के कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला, विकलांगों, सेवानिवृत सैनिकों, नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों को आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को मुख्य धारा में लाने हेतु विशेष प्रयास करना,

(स) राज्य के संतुलित विकास हेतु पिछड़े क्षेत्रों में अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना, एवं

(द) बुनियादि एवं औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिए निजी क्षेत्र के भागिदारी को प्रोत्साहन देना तथा प्रतिस्पर्धी मंच तैयार करना।

वणिज्यि एवं उद्योग विभाग (उद्योग विभाग), छत्तीसगढ़ शासन औद्योगिक नीति को क्रियान्वयन करने हेतु नोडल एजेंसी है। छ.ग शासन द्वारा समय समय पर घोषित औद्योगिक नीति के तहत 13 प्रकार की छूट एवं अनुदान प्रदान की जाती है। छूट एवं अनुदान की मुख्य राशि मुद्रांक शुल्क के भुगतान में छूट, विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट, पूंजी निवेश अनुदान एवं ब्याज अनुदान में सम्मिलित है। यह छूट कुछ निबंधनों एवं शर्तों की पूर्ति करने पर निर्धारित अवधि तक देय है। पुनः किसी भी नीति में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से छूट एवं अनुदान का दावा करने हेतु मापदंड है।

आयुक्त (उद्योग) द्वारा औद्योगिक नीति के तहत प्राप्त आवेदन के आधार पर मुद्रांक शुल्क से छूट हेतु प्रमाण पत्र (सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को छोड़कर) जारी करता है, जिसके आधार पर वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करता है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को छूट प्रमाण पत्र संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (जि.व्य.उ.कें.) द्वारा जारी किया जाता है।

विद्युत शुल्क के मामले में नये उद्योग को उसके पात्रता मापदंड की जांच एवं उद्योग विभाग की अनुशंसा के आधार पर ऊर्जा विभाग छूट प्रमाण पत्र जारी करता है।

उद्योग विभाग नये उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान एवं ब्याज अनुदान स्वीकृत करता है। ऐसे उद्योग जिनका स्थायी पूंजी निवेश जिस औद्योगिक नीति की अवधि में आता है उस औद्योगिक नीति के तहत छूट हेतु पात्र रहता है। उद्योगों को उनमें किये गये स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जैसे सूक्ष्म, लघु एवं

मध्यम उद्योग (₹ 10 करोड़ तक), वृहद उद्योग (₹ 10 करोड़ एवं ₹ 100 करोड़ के मध्य), मेगा उद्योग (₹ 100 करोड़ एवं ₹ 1000 करोड़ के मध्य) एवं अल्ट्रा मेगा उद्योग (₹ 1000 करोड़ से अधिक)।

2-2 vk|kfxd uhfr;k dk jkT; e iHkko

छत्तीसगढ शासन द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न समयावधि हेतु औद्योगिक नीतियों की घोषणा की है, जैसे औद्योगिक नीति 2001–06, 2004–09, 2009–14 एवं 2014–19। औद्योगिक नीतियों के तहत् उद्योगों का 13 तरह की छूट एवं अनुदान प्रदान की जाती है। शासन राज्य में निवेशकों द्वारा अधिक निवेश को आकर्षित करने हेतु उद्योगों को छूट एवं अनुदान देकर प्रोत्साहित करता है।

राज्य द्वारा 2001 में प्रथम औद्योगिक नीति के घोषणा के पूर्व राज्य में मात्र 68 वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योग स्थापित थे। किन्तु, औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् 2001–02 एवं 2015–16 के मध्य 190 नये वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योग स्थापित किये जा चुके है, जिसमें ₹ 57,093.83 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश किया गया है, जिसके कारण 42,715 नवीन प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ जिसका विवरण rkfydk 2-1 में दर्शाया गया है।

rkfydk 2-1% vk|kfxd uhfr;k d ykx gku d Ik'pkr jkT; e LFkkfir ogn@exk@vYVk exk m|kxk dk fooj.k

Ok"k	m|kxk dh l[;k	dy LFkk;h ith fuo'k ¼₹djkM e½	dy lftr jktxkj dh l[;k
2011–12 तक	162	47,667.40	37120
2012–13	8	484.37	969
2013–14	8	170.59	2,043
2014–15	4	1,864.34	1,109
2015–16	8	6,907.13	1,474
;kx	190	57]093-83	42]715

(स्रोतः आयुक्त, उद्योग द्वारा प्रदायित जानकारी)

पुनः आगे जांच में पाया गया कि शासन द्वारा कोर सेक्टर में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना हेतु 124 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग (एम.ओ.यू) पर हस्ताक्षर किये है। जिनमें से 61 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर हैं जिसमें ऊपर दर्शित राशि के अलावा ₹ 60,617.88 करोड का निवेश निवेशकों द्वारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में भी ₹ 480.89 करोड का पूंजी निवेश किया जा चुका है।

शासन द्वारा विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत दिये गये प्रोत्साहन से निवेशक न केवल वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा इकाईयों की ओर आकर्षित हुए है, अपितु सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में भी निवेशकों को आकर्षित किया है।

राज्य द्वारा 2001 में प्रथम औद्योगिक नीति के घोषणा के पश्चात्, 2001–02 एवं 2015–16 के मध्य में 20,246 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं जिसमें राशि ₹ 2,777.84 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश किया गया है, जिसके कारण 1,25,649 नवीन प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ जिसका विवरण rkfydk 2-2 में निचे दर्शाया गया है:

rkfydk 2-2% vkS|ksfxd uhfr;ksa ds ykxw gksus ds Ik'pkr jkT; esa LFkkfir lw{e ,oa y?kq m|ksxksa dk fooj.k

Ok"kZ	m|ksxksa dh la[;k	dqy LFkk;h iwath fuos'k ¼₹ djksM+ esa½	Uk, jkstxkjksa dk l`tu
2011–12 तक	16,016	1,547.02	91,532
2012–13	1,172	312.07	12,219
2013–14	1,193	257.89	8,212
2014–15	1,228	420.42	8,456
2015–16	637	240.44	5,230
;ksx	20246	2]777-84	1]25]649

(स्रोतः आयुक्त, उद्योग द्वारा प्रदायित जानकारी अनुसार)

इस प्रकार देखा गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य स्थापना के बाद सक्रिय कदम उठाये गये, जिसके कारण निवेश एवं रोजगार में अधिक गुना वृद्धि हुई। निवेशकों को आकर्षित करने में विभिन्न प्रोत्साहनों की मुख्य भूमिका थी। इन सब के बावजूद लेखापरीक्षा द्वारा रियायत/प्रोत्साहन के क्रियान्वयन में विभिन्न प्रणालीगत के साथ साथ व्यक्तिगत असमर्थता पाई गई, जिसका उल्लेख प्रतिवेदन में किया गया है।

2-3 laxBukRed lajpuk

उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन एजेंसी है। सचिव, उद्योग विभाग, छ.ग. शासन, शासन स्तर पर विभाग का प्रमुख है। आयुक्त, उद्योग विभागीय प्रमुख है जिसकी सहायता अपर आयुक्त, सहायक आयुक्त एवं उपायुक्त द्वारा की जाती है। जिले स्तर पर आयुक्त (उद्योग) की सहायता मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधकों द्वारा की जाती है, जो इकाई का प्रमुख है।

pkVZ 2-1% laxBukRed lajpuk

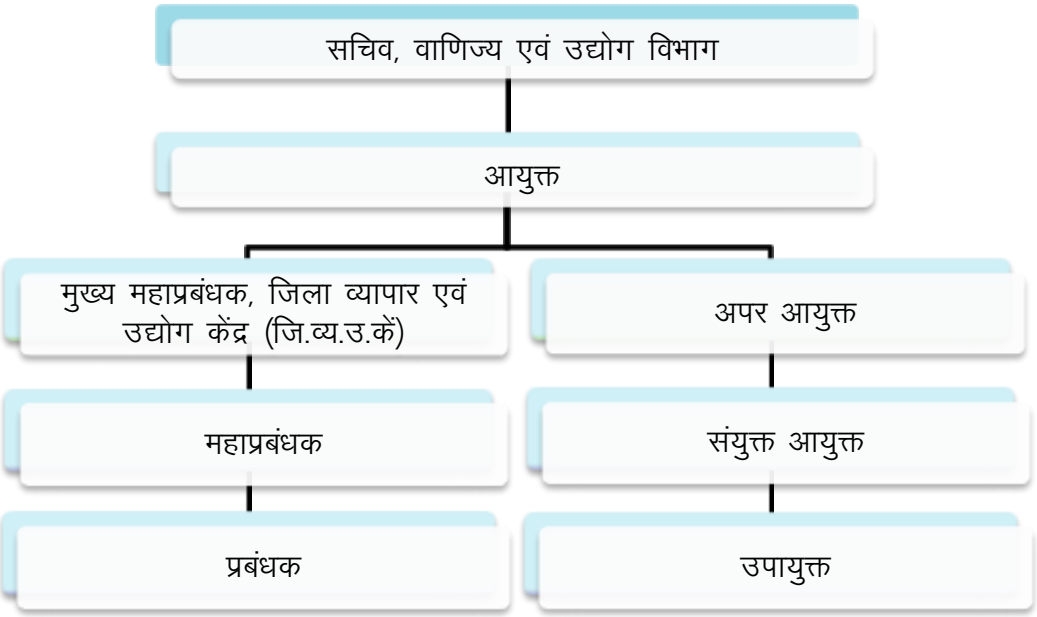

2-4 ys[kkijh{kk dk mís';

निष्पादन लेखापरीक्षा इस मूल्यांकन करने के लिए की गई थी की:

- क्या छूट/अनुदान की अनुमति प्रावधानों के अनुसार दी गई थी;
- क्या विभाग में किसी ऐसे तंत्र विद्यमान थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की विभाग द्वारा उद्योगों को दी गई छूट के लिए सभी निबंधनों एवं शर्तो का पालन किया जा रहा था;
- क्या विभागों में ऐसा समन्वय स्थापित है जिससे की राजस्व की सुरक्षा हेतु दोषीयों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जाये;
- क्या विभाग में ऐसा कोई निगरानी तंत्र स्थापित है जिससे छूट प्राप्त करने के बाद शर्तों के उल्लंघन हुआ हो; एवं
- क्या उद्योग द्वारा अनुदान का लाभ उठाने के बाद उद्देश्य की पूर्ति हुई हो।

2-5 ys[kkijh{kk dk dk;{ks= ,oa i)fr;k

औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को दी गई छूट एवं अनुदान की निष्पादन लेखपरीक्षा में तीन विभागों जैसे उद्योग विभाग, वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग एवं ऊर्जा विभाग में सम्पादित की गई। चूंकि उद्योग विभाग औद्योगिक नीतियों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है एवं आयुक्त (उद्योग) द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों को छूट प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, इसलिए इन्हे लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया।

जिला स्तर पर जि.व्य.उ.कें. द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को मुद्रांक शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इन सभी में 17 जि.व्य.उ.कें. द्वारा उद्योगों का छूट प्रदाय किया गया है। हालाकि अधिकांश संख्या में जि.व्य.उ.कें. में छूट की संख्या निम्नतर थी। अतः तीन[1] जि.व्य.उ.कें जिसने छूट की राशि ₹ 13.19 करोड़ में से राशि ₹ 10.87 करोड़ (लगभग 83 प्रतिशत) छूट दिये गये है को लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया।

ऊर्जा विभाग में मुख्य विद्युत निरीक्षक (मु.वि.नि.) द्वारा सभी उद्योगों को विद्युत शुल्क (वि.शु.) में छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अतः विद्युत शुल्क जारी करने संबंधित सभी अभिलेखों की जांच की गई। भू प्रीमियम में छूट से संबंधित अभिलेखों की जांच छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (छ.ग.रा.औ.वि.नि.), रायपुर में कि गई।

आगे वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग में उद्योगों को मुद्रांक शुल्क के भुगतान में छूट 17 जिलों में दी गई थी। जिसमें से छः[2] जिलों का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन आधार पर किया गया, जो की कुल जिलों का 35 प्रतिशत था।

विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा अवधि 2011–12 से 2015–16 में जारी छूट प्रमाण पत्रों की जांच लेखापरीक्षा द्वारा कि गई। निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी 2016 एंव जून 2016 के मध्य सम्पन्न की गई।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव के साथ अर्न्तगमन सम्मेलन दिनांक 6 जून 2016 को संपन्न हुआ जिसमें लेखापरीक्षा का क्षेत्र, कार्यप्रणाली एवं उद्देश्य की चर्चा की गई। शासन एवं विभाग को प्रारूप प्रतिवेदन 25 जूलाई 2016 को प्रेषित किया गया। बहीर्गमन सम्मेलन 3 नवंबर 2016 को संपन्न हुआ जिसमें लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, निष्कर्ष

---

1 रायगढ़, रायपुर एवं राजनांदगांव

2 बलौदा बाजार, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, रायपुर एवं राजनांदगांव

एवं अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। शासन की ओर से सचिव, वाणिज्यि एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन और अन्य समय समय पर प्राप्त उत्तरों को सम्यक् रूप से संबंधित कंडिकाओं में शामिल किया गया है।

2-6 ys[kkijh{kk ekunaM

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों निम्न मानदंड़ों पर आधारित थाः

- शासन द्वारा जारी की गई औद्योगिक नीतियों (2001–06, 2004–09 एवं 2009–14);
- भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899;
- भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908;
- छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका निर्धारण एवं पुनरीक्षण नियम, 2000;
- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949;
- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम, 1949;
- विद्युत अधिनियम, 2003;
- केंद्रीय विद्युत नियम, 2005;
- संबंधित विभागों का निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन;
- छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 एवं
- शासन एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों

2-7 vfHkLohd`fr

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग उद्योग विभाग, वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग, ऊर्जा विभाग, छ.ग.रा.औ.वि.नि. द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में सहयोग को अभिस्वीकृत करता है।

2-8 NwV ,oa vuqnku tkjh djus dh izfØ;k

औद्योगिक नीति के तहत पात्र उद्योगों को आवश्यक है कि वह अपने वैध दस्तावेज जैसे ईएम पार्ट I, इंडस्ट्रियल इंटेप्रिंन्यूयल मेमोरेंडम (आईईएम) अथवा मेमोरैन्ड्म ऑफ अंडरस्टैण्डींग (एम.ओ.यू) और भूमि की आवश्यकता के साथ आवेदन करें। कृषक के पास से सीधे क्रय की गई भूमि के संबंध में विक्रय का करारनामा और छ.ग.रा.औ.वि.नि. द्वारा आबंटित भूमि के संबंध में भूमि आबंटन प्रमाण पत्र के साथ उद्योग विभाग में जमा किया जाना आवश्यक है। इन दस्तावेजों के आधार पर उद्योग विभाग, मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी करता है। इस छूट प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की गई/पट्टे पर ली गई भूमि के पंजीयन पर मुद्रांक शुल्क से भुगतान की छूट प्रदान करता है।

वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने पर, उद्योग को ईएम पार्ट II के साथ विद्युत ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता दर्शाते हुए और विद्युत उत्पाद उद्योग होने की स्थिति में टीजी सेट की उत्पादन क्षमता के साथ दोनों विभागों यानि उद्योग विभाग एवं ऊर्जा विभाग में विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु आवेदन करना आवश्यक है। पात्रता का निर्णय लेने के बाद उद्योग विभाग विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु अनुशंसा जारी करता है। ऊर्जा विभाग अनुशंसा एवं पात्रता मापदंड के आधार पर छूट प्रमाण पत्र जारी करता है।

स्थायी पूंजी निवेश अनुदान एवं ब्याज अनुदान का दावा करने हेतु उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के एक वर्ष की समयावधि में आवेदन करना आवश्यक है। स्थायी पूंजी निवेश अनुदान हेतु उद्योग को सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे ईएम पार्ट

II, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने तक किये गए निवेश का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन दस्तावेजों के आधार पर उद्योग विभाग अनुदान मंजूर करता है। स्थायी पूंजी निवेश की सीमा ₹ 25 लाख से ₹ 5 करोड़ एवं ब्याज अनुदान की सीमा ₹ 5 लाख से ₹ 60 लाख है जो उद्योगों की पात्रता के अनुसार निर्धारित की जाती है।

यदि भूमि का आबंटन औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है तो भूमि के प्रीमियम पर रियायत/छूट भी पात्र उद्योगों को दी जाती है और औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भूमि आबंटन होने की दशा में सेवा शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। यह अनुदान छ.ग.औ. वि.नि. द्वारा प्रदान की जाती है। आशय पत्र (लेटर आफ इंटेंट) में दिये गए निबंधनों एवं शर्तों की पूर्ति किए जाने पर छ.ग.रा.औ.वि.नि. द्वारा भूमि आबंटन प्रमाण पत्र जारी करता है जिसके बाद उद्योग को निर्धारित समयावधि में पट्टा विलेख निष्पादित करना आवश्यक है।

उद्योगों को दिये जाने वाली छूटों/अनुदानों का प्रक्रिया फ्लोचार्ट नीचे pkVZ 2-2 में दिया गया है:

pkVZ 2-2% izfØ;k ¶ykspkVZ

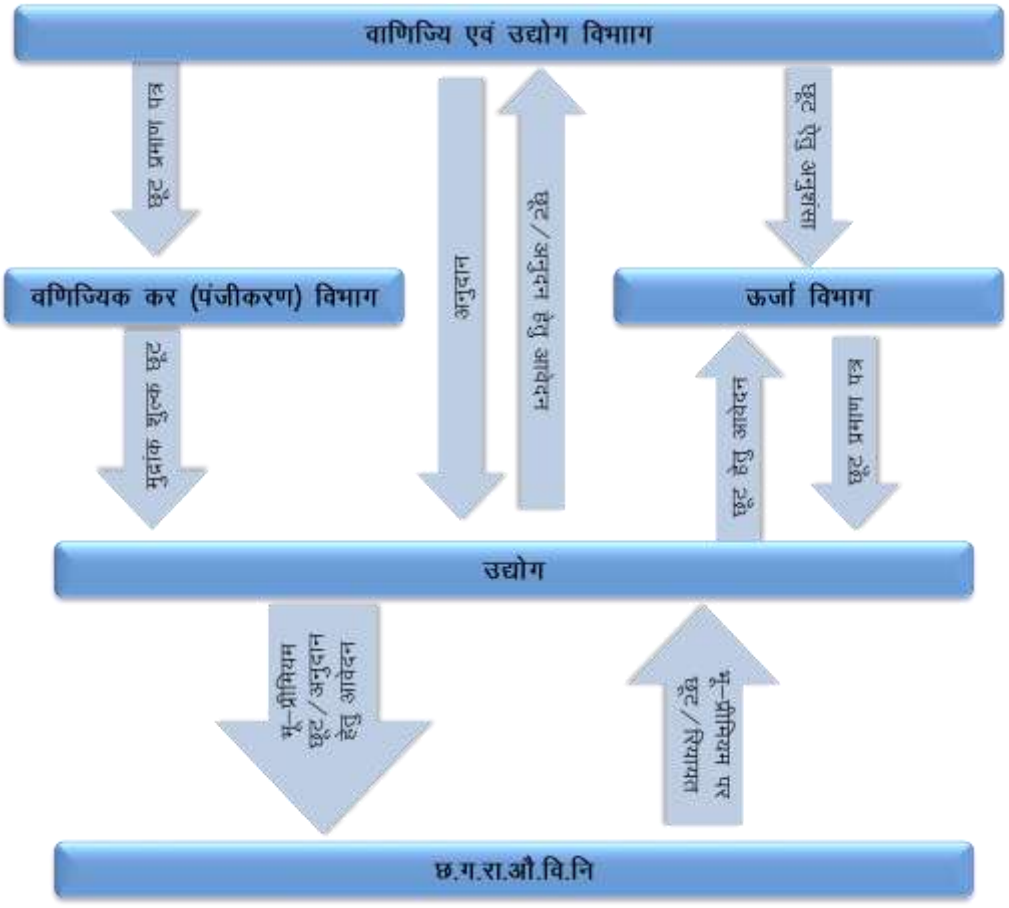

2-9 izdj.kksa dh dqy la[;k ftlesa NwV ,oa vuqnku Lohd`r fd;k x;k

मध्यम/वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा उद्योगों को दिया गया मुद्रांक शुल्क में छूट, विद्युत शुल्क में छूट, स्थायी पुंजी अनुदान, ब्याज अनुदान के प्रकरणों की संख्या का विवरण

pkVZ 2-3 एवं सूक्ष्म/लघु उद्योगों को दिये गये मुद्रांक शुल्क, स्थायी पूंजी अनुदान एवं ब्याज अनुदान के प्रकरणों की संख्या का विवरण pkVZ 2-4 में दर्शाया गया है।

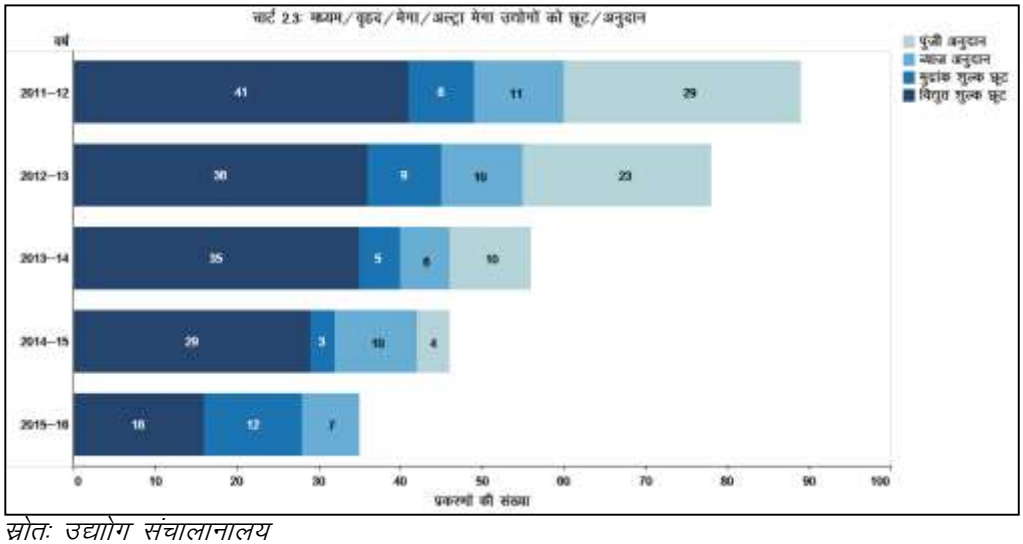

स्रोतः उद्योग संचालानालय

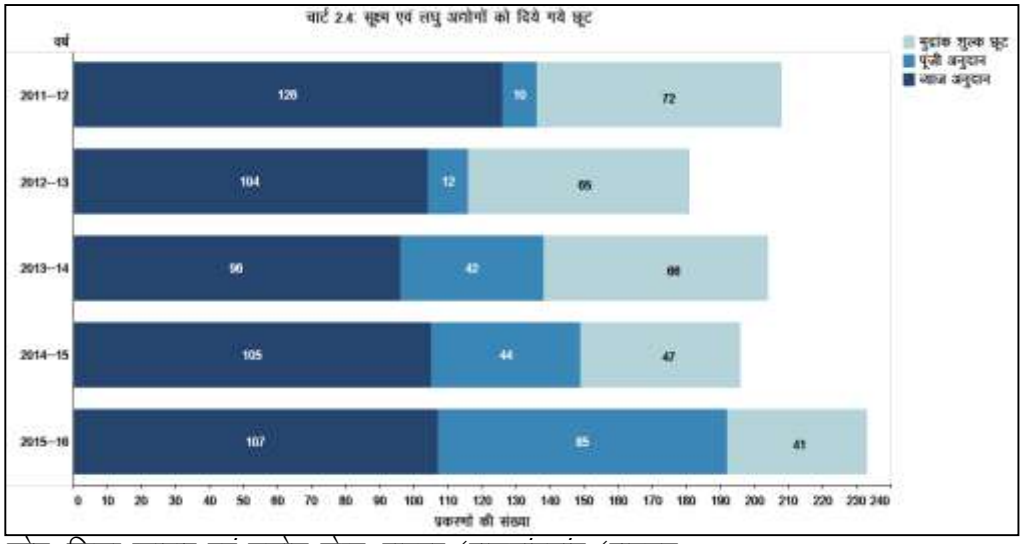

स्रोतः जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर/राजनांदगांव/रायगढ़

ys[kkijh{kk i{k.k

vkS|ksfxd uhfr esa folaxfr

ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्पादित विद्युत ऊर्जा के स्वयं के खपत करने पर ही विद्युत शुल्क से छूट देय है किन्तु इस विभागीय अधिसूचना के विपरीत औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को विद्युत शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई। तीन प्रकरणों में उद्योगों द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा का उपभोग स्वयं के खपत हेतु नहीं किया गया, किन्तु ऊर्जा विभाग द्वारा इन उद्योग को विद्युत शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया था। पुनः छः प्रकरणों में छूट/अनुदान का फायदा एक से अधिक नीति में प्रदान किया गया था और दो प्रकरणों में उद्योग विभाग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक को उसी उद्योग को पूर्ववर्ती जारी छूट प्रमाण पत्र के अनुसार सीमित नहीं किया गया था। इस प्रकार औद्योगिक नीति में विसंगति के कारण विद्युत शुल्क में छूट के 157 प्रकरणों और स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के 66 प्रकरणों में से नौ प्रकरणों में ₹ 19.08 करोड़ का विद्युत शुल्क का

अनियमित छूट तथा ₹ 36.19 लाख का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृत किया गया जिसे निम्नानुसार कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

2-10 fo|r 'kYd l NV iklr djus gr foHkkxh; vf/klpuk d vulkj vk|kfxd uhfr e 0;oLFkk ugh gkuk

m|kx foHkkx }kjk vk|kfxd uhfr e fo|r 'kYd l NV iklr djus gr Åtk foHkkx ,o fo|r vf/kfu;e] 2003 d vulkj tkjh vf/klpuk e 0;oLFkk ugh dh xbZ FkhA

औद्योगिक नीति 2004–09 के अनुसार विशेष थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत किसी उद्योग को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देय है। गैर–परंपरागत स्त्रोत से ऊर्जा का उत्पादन विशेष थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत सम्मलित है। ऊर्जा विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2004–09 के तहत जारी अधिसूचना (नवम्बर 2014) के अनुसार स्वयं के खपत पर विद्युत ऊर्जा पर ही विद्युत शुल्क से छूट की पात्रता होगी। औद्योगिक नीति के निबंधनों एवं शर्तों विभागीय अधिसूचना के अधीन है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत जारी विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 के अनुसार यदि कोई विद्युत उत्पादक अपनी कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में से 51 प्रतिशत से कम विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता हो तो वह स्वंतत्र विद्युत उत्पादक (स्व.वि.उ.) माना जावेगा।

हमने कार्यालय मु.वि.नि, रायपुर में उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी फार्म 'जी' की जांच में पाया की, तीन उद्योगों[3] द्वारा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई 2006 एवं नवम्बर 2006 के मध्य किया गया। इन उद्योगों द्वारा नवम्बर 2006 एवं मार्च 2016 के मध्य 509.47 एम.यू. (मिलियन इकाई) विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया गया, जिसमें से 444.40 एम.यू. विद्युत ऊर्जा का विक्रय छत्तिसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (छ.ग.रा.वि.वि.कं.) को किया गया।

इस प्रकार इन उद्योगों द्वारा अपनी कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में से आक्सलरी उपभोग को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण ऊर्जा का विक्रय किया जा रहा था, अतः यह उद्योग औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत जारी अधिसूचना (नवम्बर 2014) के अनुसार छूट हेतु पात्र नहीं थे। किन्तु उद्योग विभाग ने छूट हेतु अनुशंसा जारी की तथा मु.वि.नि ने छूट प्रमाण पत्र जारी किया। विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 के अनुसार 65.07 एम.यू. के आक्सलरी उपभोग पर राशि ₹ 6.03 करोड़ का विद्युत शुल्क आरोपणीय था। पुनः ₹ 2.22 करोड़ भी छ.ग.रा.वि.वि.कं. को विक्रीत/वितरित की गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क आरोपणीय था।

पुनः आगे जांच मे पाया गया की ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार छ.ग. रा.वि.वि.कं. को विक्रीत/वितरित की गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का भुगतान करने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा इन उद्योगों को मांग पत्र जारी किया (मई 2015), जिसे इन उद्योगों द्वारा औद्योगिक नीति के प्रावधान के तहत चुनौती दी गई।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2012, को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर दिये गए प्रतिवेदन की कंडिका 6.2.25 मे भी अनुशंसा दी गई थी की जैसे ही नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाने पर विद्यमान औद्योगिक नीति को वापस ले लिया जाये। किन्तु शासन द्वारा इस सबंध मे कोई उपचारात्मक

---

[3] आर आर एन्र्जी, ईकोफर्न एवं नीरज पावर

कार्यवाही नहीं की गई। पूर्ववर्ती नीति को वापस नहीं लिए जाने के कारण विभाग द्वारा स्पष्टीकरण/निर्देश पूर्ववर्ती नीति में जारी किये जा रहे हैं। इस प्रकार अधिनियम के अनुसार औद्योगिक नीति में प्रावधान को सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ शासन को न केवल ₹ 6.03 करोड़ राजस्व अप्राप्त हुए किन्तु ₹ 2.22 करोड़ न्यायालयीन प्रक्रिया में भी लंबित थे।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की विद्युत शुल्क की छूट ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विनियमित होती हैं। नवम्बर 2014 मे जारी ऊर्जा विभाग की अधिसूचना के अनुसार विद्युत शुल्क से छूट मात्र विद्युत ऊर्जा के स्वयं के उपभोग पर हैं। ऐसी शर्त पूर्ववर्ती जारी अधिसूचनाओं में नहीं थी। अतः नवम्बर 2014 मे जारी अधिसूचना के अनुसार कार्यवाही करने हेतु ऊर्जा विभाग को पत्र लिखा जा रहा हैं।

'kklu vk|kfxd uhfr d çko/kkuk dk foHkkxh; vf/klpukvk d vuq lkj ifjorlu dju ckcr fopkj dj rkfd 'kklu dh; jktLo gkuh l cpk tk ldA

2-11 m|kxk dk ,d l vf/kd uhfr;k e NV dk ykHk fn;k tkuk

foHkkx u fofHkUu çdkj dh NVk ,o vunkuk dk ,d gh m|kx dk vyx&vyx vk|kfxd uhfr e inku fd;s x;A

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये औद्योगिक नीतियों के अनुसार कोई भी उद्योग उक्त औद्योगिक नीति की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने पर उक्त नीति मे छूट/अनुदान हेतु पात्र होगा। यदि कोई उद्योग औद्योगिक नीति की निर्धारित अवधि मे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने में विफल रहता हैं तो पूर्व नीति की अंतिम तिथि से एक वर्ष तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की स्थिति में उद्योग को पूर्व नीति मे भी छूट/अनुदान प्राप्त करने का विकल्प रहेगा। पुनः प्रत्येक औद्योगिक नीति में लाभ अपात्र उद्योगों की सूची के साथ परिवर्तित होते रहते हैं।

यद्यपि औद्योगिक नीति के अनुसार उद्योग को किस औद्योगिक नीति के तहत लाभ लेना हैं इसके चयन का विकल्प हैं किन्तु इस बाबत् मौन हैं की उद्योग ने कोई लाभ पूर्ववर्ती नीति मे प्राप्त किया हैं तो उसे किस प्रकार निर्धारित किया जावेगा। औद्योगिक नीति में इस प्रकार की विषमता के कारण विभाग ने भिन्न भिन्न लाभ एक ही उद्योग को दो अलग अलग नीतियों में दिये।

2-11-1 हमने कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में विद्युत शुल्क से सबंधित 157 प्रकरणों, मुद्रांक शुल्क के 37 प्रकरणों, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के 66 प्रकरणों एवं ब्याज अनुदान के 44 प्रकरणों की जांच में पाया की तीन प्रकरणों में विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2001–06 के तहत मुद्रांक शुल्क से भुगतान हेतु छूट प्रमाण पत्र मार्च 2004 एवं मई 2004 के मध्य जारी किये गये थे। इसमे से दो प्रकरणों[4] में वाणिज्यिक उत्पादन दिसंबर 2004 एवं मार्च 2005 के मध्य में प्रारम्भ किया गया था और विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2004–09 के तहत मार्च 2013 एवं सितम्बर 2013 के मध्य ₹ 36.19 लाख का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृत किया गया था। शेष एक प्रकरण[5] में

[4] आरती स्पंज लिमिटेड़ एवं नंदन स्टील लिमिटेड़

[5] क्रस्ट स्टील एण्ड़ पावर लिमिटेड़

उद्योग विभाग की अनुशंसा (जनवरी 2010) के आधार पर मु.वि.नि. द्वारा औद्योगिक नीति 2004–09 के तहत मार्च 2006 से मार्च 2021 तक की अवधि हेतु विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रमाण पत्र जारी किया। उद्योग द्वारा 381.8 एम.यू. विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं उपभोग (अगस्त 2006 से मई 2014) तक किया जिस पर ₹ 10.41 करोड़ की छूट प्रदान की गई।

2-11-2 इसी प्रकार, तीन[6] प्रकरणों में विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत फरवरी 2009 एवं फरवरी 2010 के मध्य में मुद्रांक शुल्क से भुगतान हेतु छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये। इन उद्योगों द्वारा फरवरी 2010 एवं नवम्बर 2012 में मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया था। किन्तु विभाग द्वारा विद्युत शुल्क से भुगतान हेतु छूट प्रमाण पत्र औद्योगिक नीति 2009–14 में जारी किय गये थे। इन उद्योगों द्वारा 110.53 एम.यू. विद्युत ऊर्जा का उपभोग किया जिस पर ₹ 2.64 करोड़ की छूट प्रदान की गई।

इस प्रकार छूट/अनुदानों को विभिन्न नीतियो में मान्य किये जाने से एवं एक नीति की अवधि में उद्योगों की स्थापना नहीं होने से औद्योगिक नीतियों के उद्देश्यों जैसे राज्य के औद्योगिक क्षेत्र मे विकास, रोजगार सृजन, पिछड़े वर्गो का विकास इत्यादि प्राप्त करने मे विलंब हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की मुद्रांक शुल्क से भुगतान की छूट उद्योगों को स्थापना के पूर्व दी जाती हैं। उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरूआत करने के पूर्व अन्य औपचारिकताऐं जैसे भवन निर्माण, विद्युत कनेक्शन, संयत्र एंव यंत्रों का प्रदाय इत्यादि पूर्ण करना आवश्यक हैं। पुनः कुछ उद्योगों को मुद्रांक शुल्क से भुगतान की छूट औद्योगिक नीति के अंत में भी दी जाती हैं जिनके द्वारा औद्योगिक नीति की निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया। अतः उद्योग स्थापना से संबंधित समस्त क्रियाकलापों को एक ही नीति में सीमित करना संभव नहीं हैं।

शासन का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं हैं क्योंकि उद्योग को स्थापना से पूर्व किस औद्योगिक नीति में लाभ लेना हैं यह ज्ञात रहता हैं। पुनः प्रत्येक औद्योगिक नीति में लाभ अपात्र उद्योगों की सूची के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, अतः उद्योग को समस्त लाभ एक ही नीति के तहत देना चाहिए ताकि औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति मे हो रहे विलंब से बचा जा सके।

'kklu vk|kfxd uhfr e vko';d l'kk/ku dju ckcr fopkj dj dh m|kxk dk leLr ykHk ,d gh uhfr d rgr çnku fd;k tk ld rkfd vk|kfxd uhfr d mí'k;k dh çkfIr e gk jg foyc dk Vkyk tk ldA

6 असान स्टील, जय अम्बे वार्यस एवं सुपर ग्लोबल लिमिटेड़

2-12 okf.kfT;d mRiknu çkjEHk dju dh le; lhek dk eækd 'kYd d NV gr tkjh çkjHkhd çek.k i= d vulkj r; ugh fd;k tkukA

foHkkx }kjk okf.kfT;d mRiknu çkjEHk dju dh le; lhek dk eækd 'kYd d NV gr tkjh çkjHkhd çek.k i= d vulkj lhfer ugh fd;k x;kA

छूट प्रमाण पत्र में उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार उद्योगों के छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर देना चाहिए।

हमने उप पंजीयक कार्यलय बलौदा बाजार एवं राजनांदगांव में पंजीकृत विलेखों की जांच मे पाया की दो[7] उद्योगों द्वारा नवम्बर 2007 एवं अक्टूबर 2010 के मध्य में मुद्रांक शुल्क से भुगतान से छूट प्राप्त की थी। उद्योग विभाग द्वारा छूट प्रमाण पत्र की जांच मे पाया गया की, प्रमाण पत्र मे वर्णित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार इन उद्योगों को छूट प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से पाँच वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना चाहिए था। पुनः जांच में पाया गया की उन प्रकरणों में जहां अतिरिक्त भूमि के क्रय हेतु मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट हेतु जारी अतिरिक्त छूट प्रमाण पत्र मे वाणिज्यि उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि को भूमि के पंजीकरण पर पूर्ववर्ती जारी छूट प्रमाण पत्र के अनुसार सीमित नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की अवधि पर्वूवर्ती जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित अवधि से आगे बढ़ गई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की कुछ उद्योगों को स्थापना में मुद्रांक शुल्क में छूट वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पूर्व औपचारिकताऐं पूर्ण करने के बाद ही दी जाती है। अन्य उद्योगों के मामलों में मुद्रांक शुल्क छूट औद्योगिक नीति के अवधि के अंत में दिया गया। अतः वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि को सीमित किया जाना संभव नहीं हैं।

शासन का उत्तर इस बात को सुनिश्चित करता हैं की प्रथम छूट अवधि को अनुवर्ती जारी छूट प्रमाण पत्र जारी करते समय ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि छूट प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप में वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि को सीमित करने बाबत् कोई उल्लेख नहीं था।

'kklu eækd 'kYd d Hkxrku l NV gr tkjh vuorh çek.k i= e okf.kfT;d mRiknu dh frfFk dk iobrh tkjh çek.k i= d vulkj lhfer dju gr fopkj dj rkfd vk|kfxdj.k d ykHk le; l çkIr gk ldA

vfu;fer NV

लेखापरीक्षा के दौरान उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक नीति के प्रावधानों के विपरीत छूट/अनुदान स्वीकृत/मान्य किये गये थे। एक प्रकरण में, उद्योग विभाग द्वारा ऐसे उद्योग की विस्तारित क्षमता को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु अनुशंसा जारी की गई थी जो पूर्व में पूर्ववर्ती नीति के तहत छूट प्राप्त कर चुका था और चार प्रकरणों में

---

[7] ईमामी सिमेंट एवं वंदना विद्युत लिमिटेड़

विस्तार पर छूट प्रदान की गई थी। पुनः विभाग ने ऐसे उद्योगों को अनुदान स्वीकृत किया हैं जो निर्धारित अवधि मे ईएम पार्ट II जमा नहीं किये थे, ऐसे उद्योग जिनके नाम पर भूमि नहीं थी, पुराने उद्योग, ऐसे उद्योग जिन्होने निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं किया था, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे, अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मिलित थे और कुछ भाग विक्रय कर दिये थे इत्यादि। इस प्रकार 63 प्रकरणों में राशि ₹ 44.30 करोड़ की अनियमित छूट प्रदान की गई थी जो निम्न कंडिकाओ में वर्णित हैं।

2-13 foLrkfjr {kerk ij fo|qr 'kYd dh vfu;fer NV

m|kx foHkkx }kjk m|kx ds foLrkj ij ,d ,sls m|kx dk fo|qr 'kYd ls NV gsrq vuq'kalk çnku dh xbZ Fkh tk leku ykHk iwoorhZ uhfr esa çkIr dj pqdk FkkA m|kx foHkkx }kjk vkS|kfxd uhfr ds rgr tkjh vf/kslpuk ds foijhr foLrkfjr {kerk ij fo|qr 'kYd ds Hkqxrku ls NV gsrq vuq'kalk Hkh tkjh dh xbZ FkhA e-fo-fu- }kjk vuq'kalk ds vk/kkj ij NV çek.k i= tkjh fd;s x;sA

औद्योगिक नीति 2004–09 एवं इसके तहत जुलाई 2008 मे जारी अधिसूचना के अनुसार ऊर्जा विभाग मात्र नये उद्योगों को ही छूट जारी करेगा ना की विस्तार पर।

2-13-1 कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में विद्युत शुल्क से छूट के 157 प्रकरणों की जांच में हमने देखा की मेसर्स बजरंग पावर एवं इस्पात लिमिटेड द्वारा अपने 8 मेगा वाट एवं 10 मेगा वाट टीजी सेट के द्वारा क्रमशः (जुलाई 2005 एवं अगस्त 2005) से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया, जिस पर ऊर्जा विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2001–06 के अंतर्गत 15 वर्ष हेतु छूट प्रमाण पत्र जारी (मई 2006) किया गया था। उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार 8 मेगा वाट टीजी सेट से किया जिससे अगस्त 2008 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया। चूंकी उद्योग द्वारा पूर्व में ही औद्योगिक नीति 2001–06 के अंतर्गत छूट का उपभोग किया जा रहा था, अतः 8 मेगा वाट टीजी सेट को औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत दिसम्बर 2012 में दी गई छूट अनियमित था। उद्योग द्वारा 409.3 एम.यू. विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं उपभोग (अगस्त 2008 से मार्च 2016 के मध्य) किया जिस पर ₹ 11.66 करोड़ की छूट दी गई जो अनियमित और वसूलनीय थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की सितंबर 2012 मे जारी आदेश में सुधार करने हेतु संशोधित आदेश औद्योगिक नीति 2004–09 में जारी किया गया था। विद्युत शुल्क में छूट का आधार वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ करना हैं और उद्योग द्वारा अप्रैल 2005 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया था जो औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि उद्योग द्वारा औद्योगिक नीति 2001–06 में लाभ लेने हेतु विकल्प (फरवरी 2011) में दिया था और उसके एवज में विभाग द्वारा भी औद्योगिक नीति 2001–06 के अंतर्गत छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसलिए अगस्त 2008 में अतिरिक्त 8 मेगा वाट टीजी सेट की स्थापना को विस्तार माना जावेगा, जो औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत छूट हेतु पात्र नहीं था।

2-13-2 इसी प्रकार उद्योग विभाग द्वारा जनवरी 2012 एवं नवम्बर 2013 के मध्य चार उद्योगों[8] को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु अनुशंसा जारी की गई थी। इस अनुशंसा के आधार पर ऊर्जा विभाग द्वारा फरवरी 2012 एवं सितम्बर 2014 के मध्य छूट प्रमाण पत्र जारी किये थे। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर इन उद्योगों की विद्युत ऊर्जा की स्थापित/आवश्यक क्षमता 500 किलो वाट एम्पीयर (के.व्ही.ए.) से 10000 के.व्ही.ए. थी। पुनः जांच में पाया गया की इन उद्योगों द्वारा मार्च 2007 एवं जनवरी 2012 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया था और उनकी विद्युत ऊर्जा की स्थापित/आवश्यक क्षमता 300 के.व्ही.ए. से 5000 के.व्ही.ए. के मध्य थी। इस प्रकार इन उद्योगों ने अपनी क्षमता विस्तार की थी। औद्योगिक नीति एवं अधिसूचना के अनुसार उद्योगों का विस्तार छूट हेतु पात्र नहीं था। इसके बावजूद भी मु.वि.नि. द्वारा छूट को अमान्य कर प्रकरण उद्योग विभाग को सूचित करने के बजाय 346.57 एम.यू. विद्युत उपभोग पर ₹ 9.58 करोड़ की छूट प्रदान की। इस प्रकार उद्योग विभाग एवं ऊर्जा विभाग द्वारा प्रकरण की जांच में विफल होने के कारण ₹ 9.58 करोड़ की अनियमित छूट प्रदान की गई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की इन उद्योगों द्वारा औद्योगिक नीति के कार्यकाल के दौरान ही स्थापित विद्युत क्षमता का विस्तार कर लिया था। औद्योगिक नीति के प्रावधान के अनुसार विस्तारित क्षमता को भी नया उद्योग माना जावेगा।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि औद्योगिक नीति के तहत कोई भी लाभ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से देय हैं। इस प्रकार उसी उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के बाद क्षमता में बढ़ोतरी का विस्तार माना जावेगा, जो की ऊर्जा विभाग की अधिसूचना अनुसार मान्य नहीं है।

2-14 vik= m|kx dk vunkuk dh Lohकृfr

foHkkx }kjk ,l m|kxk dk vunku Lohकृr fd;k x;k tk fu/kkfjr vof/k e mRiknu d çkjEHk@fØ;kdyki l lcf/kr nLrkot ¼b,e ikV II½ fu/kkfjr vof/k e tek dju e foQy jgkA

छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम,2009 के अनुसार योग्य उद्योगों को ब्याज अनुदान एवं स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दावा करने हेतु वैध दस्तावेज ईएम पार्ट I/लघु उद्योग पंजीयन प्रमाणपत्र/आईईएम/औद्योगिक लाईसेंस के साथ ईएम पार्ट II (वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ/क्रियाकलाप होने के बाद प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज) जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो उसके साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।

पुनः औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट 1 के उपबंध 8 अ में सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों की व्याख्या दी गई है, जिसके अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमि विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं और जिनके पास संबंधित जि.व्य.उ.कें. द्वारा जारी ईएम पार्ट I हो तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ईएम पार्ट II एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र हो। भारत सरकार द्वारा सितंबर 2006 मे जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योगों को ईएम पार्ट I एवं ईएम

[8] एकयूरेट वेल्ड आर्क लिमिटेड़, जे.डी.इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड़, टंकेश्वरी मेटल्स एण्ड़ पावर प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड़ एवं गायत्री रोलिंग मिल्स लिमिटेड़

पार्ट II, ईएम पार्ट I जारी होने के दो वर्ष के अंदर दाखिल करना आवश्यक हैं तथा ईएम पार्ट II निर्धारित अवधि मे जमा न किए जाने की दशा में उद्यमी द्वारा जमा किया गया ईएम पार्ट I अमान्य हो जायगा।

जि.व्य.उ.कें., रायपुर मे पूंजी अनुदान के 117 प्रकरणों की जांच में हमने देखा की पाँच प्रकरणो मे ₹ 1.80 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान एवं 25 प्रकरणो मे ₹ 3.70 करोड़ का ब्याज अनुदान (ifjf'k"V 2-1 मे वर्णित) स्वीकृत ऐसे उद्योगों को किया गया था जिन्होने ईएम पार्ट I जमा करने के दिनांक से निर्धारित अवधि दो वर्ष में ईएम पार्ट II जमा नहीं किये थे। जो यह इंगित करता हैं की इन उद्योगों द्वारा निर्धारित समयावधि मे वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ नहीं किया था।

चूंकी इन उद्योगों द्वारा औद्योगिक नीति एवं अधिसूचना की शर्तों को पालन नहीं किया था, अतः औद्योगिक नीति 2009–14 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अनुदान एवं सुविधा लेने हेतु पात्र नहीं थे। इस प्रकार ₹ 3.70 करोड़ का ब्याज अनुदान एवं ₹ 1.80 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृत किया जाना अनियमित था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवंबर 2016) की एम एस एम ई डी अधिनियम के तहत जमा किए जाने वाले ईएम पार्ट I एवं ईएम पार्ट II को सितंबर 2015 से शासन ने वापस ले लिया हैं। यदि ईएम पार्ट I जमा किए जाने के पश्चात् ईएम पार्ट II निर्धारित अवधि दो वर्ष में जमा नहीं किये जाने से मात्र उद्योग स्थापना का अभिप्राय अनियमित हो जाता हैं तो वह मात्र जमा किये जाने के उद्देश्य से हैं, पुनः औद्योगिक नीति 2009–14 एवं स्थायी पूंजी निवेश/ब्याज अनुदान नियम, 2009 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं की ईएम पार्ट I जमा किये जाने के पश्चात् दो वर्ष में ईएम पार्ट II जमा किया जाना आवश्यक हैं। औद्योगिक नीति के कार्यावधि में वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ किया जा सकता हैं।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि अधिनियम के अनुसार इन उद्योगों को दो वर्ष के अंदर ईएम पार्ट II जमा किया जाना जरूरी था अन्यथा ईएम पार्ट I अमान्य हो जायगा। पुनः इन उद्योगों द्वारा ईएम पार्ट II जमा किए जाने के समय में अधिनियम लागू था। अतः अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इन उद्योगों को निर्धारित अवधि में ईएम पार्ट II जमा किया जा सकता था और अमान्य दस्तावेजों के आधार पर अनुदानों का स्वीकृत किया जाना अनियमित था।

2-15 fo|qr 'kqYd ds Hkqxrku ls vfu;fer NwV

eq-fo-fu- us fo|qr 'kqYd Hkqxrku ls NwV ds fy, NwV izek.ki= ,sls m|ksxksa dks tkjh fd;k ftUgksus igys ls gh fo|qr 'kqYd Hkqxrku ls NwV fdlh nwljs vf/klwpuk ds vuqlkj ys pqdk FkkA

ऊर्जा विभाग द्वारा नवंबर 1992 में जारी अधिसूचना के अनुसार, कोइ व्यक्ति या उपक्रम जेनरेटिंग सेट से 125 के.व्ही.ए. से अधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन स्वयं के उपभोग के लिए करता है तो वाणिज्यिक उत्पादन के दिनांक से 5 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त होगा। शासन द्वारा इन अधिसूचना को दिसम्बर 2008 में वापस लिया गया तथा बताया गया कि यह छूट उन उद्योगों को जारी रहेंगे जिन्होनें 2008 से पूर्व छूट का लाभ छूट प्रमाणपत्र में दर्शित अवधि से दिया गया और ऐसा उद्योग औद्योगिक नीति 2001–06 या शासन द्वारा समय समय पर जारी किसी अन्य नीति के अंतर्गत किसी अन्य छूट के पात्र नही होंगे।

हमनें कार्यालय मु.वि.नि. में जी फार्म के जांच में पाया कि एक उद्योग मेसर्स नवदुर्गा फयूल्स लिमिटेड ने 4 मेगा वाट टीजी सेट से वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य जुलाई

2006 से प्रारंभ किया। उद्योग विभाग (अप्रैल 2013) द्वारा औद्योगिक नीति 2001–06 के अंतर्गत विद्युत शुल्क के भूगतान में 10 वर्षो के लिए छूट की अनुशंसा की गई। आगे जांच में पाया गया कि उद्योग पांच वर्ष के लिए विद्युत शुल्क भुगतान में छूट का लाभ दो डीजल सेट पर मार्च 2005 से मार्च 2010 तक पहले (मई 2005) से ही दी गई थी। इस प्रकार विभाग द्वारा दिसम्बर 2008 में जारी अधिसूचना के अनुसार उद्योग आगे की छूट के लिए पात्र नही था। तथापि मु.वि.नि. द्वारा छूट प्रमाण पत्र को अमान्य कर उद्योग विभाग को सूचना दिए बगैर छूट प्रमाण पत्र सितम्बर 2014 में जुलाई 2006 से मार्च 2015 के लिए जारी किया।

उद्योग द्वारा उत्पादित एवं उपभोग किए गए 86.89 एम.यू. विद्युत ऊर्जा और दिये गये छूट की राशि ₹ 4.68 करोड वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से मार्च 2016 तक वसूलनीय है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन (नवंबर 2016) द्वारा बताया गया कि मु.वि.नि. से प्राप्त सूचना के अनुसार उद्योग को विद्युत शुल्क से छूट अधिसूचना 1992 के अंतर्गत दिया गया है। अतः औद्योगिक नीति के तहत जारी किये गये अनुशंसा को वापस लेने की प्रक्रिया जारी है।

2-16 fo|eku m|ksxksa dks u, m|ksx ekudj NwV fn;k tkuk

m|ksx ,oa ÅtkZ foHkkxksa us igys ls fo|eku m|ksx dks u;k m|ksx ekudj NwV fn;kA

औद्योगिक नीति 2004–09 के अनुसार नई औद्योगिक इकाई का आशय ऐसे औद्योगिक इकाई से है, जिनके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन 1 नवंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2009 तक प्रारंभ किया गया हो। आगे औद्योगिक नीति 2009–14 के अनुसार नवीन उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है जिनके द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2009 या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित हो तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति इ.एम.पार्ट–I/आई.इ.एम, आशय पत्र (लेटर आफ इंटेन्ट), औद्योगिक लायसेंस धारित हो एवं उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम.पार्ट–II तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो।

2-16-1 हमनें कार्यालय आयुक्त (उद्योग) एवं जि.व्य.उ.कें., रायगढ़ एवं राजनांदगांव में अनुदान से संबंधित प्रकरणों की जांच में पाया कि विभाग ने पांच उद्योगों[9] को अनुदान (स्थायी पूंजी अनुदान एवं ब्याज अनुदान) की राशि ₹ 2.37 करोड की स्वीकृति प्रदान की। आगे जांच में पाया गया कि कंपनी के रजिस्ट्रार (आर.ओ.सी.) तथा वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार ये उद्योग 1993 से अस्तित्व में है। अतः विधमान उद्योग को नवीन मानकर दिया गया अनुदान अनियमित था।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन (नवंबर 2016) द्वारा बताया गया कि औद्योगिक नीति 2004–09 एवं 2009–14 के अनुसार नवीन उद्योग से तात्पर्य नीति में निर्धारित समय सीमा के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने से है। आगे विधमान उद्योग के विस्तार को नवीन उद्योग की श्रेणी में रखा जाता हैं। इसलिए यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन उधोगो का पंजीकरण कंपनी के रजिस्ट्रार या वाणिज्यिक कर विभाग से 1993 या इसके बाद किया गया।

[9] मेसर्स डोंगरगांव पेपर मिल्स, एटमैसको प्रायव्हेट लिमिटेड़, सिम्पनी ट्रेडकाम, जी एन एस गैसेस एवं रिजेंसिस इण्डस्ट्रीज

शासन द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह उद्योगों 1993 से अस्तित्व में थे एवं इन उद्योगों के प्रकरणों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था की औद्योगिक नीति के अंतर्गत अनुदान लेने हेतु उद्योग का विस्तार भी एक आधार होगा। आगे विभाग द्वारा अपने उत्तर के समर्थन में औद्योगिक नीति के परिशिष्ट 1 में दिये गये विस्तार के संबंध में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

2-16-2 हमनें कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में छूट से संबंधित दो[10] प्रकरणों के जांच में पाया कि उद्योग विभाग द्वारा विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट के लिए छूट प्रमाण पत्र की अनुशंसा वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल 2009 एवं अक्टूबर 2010 के मध्य मानते हुए किया गया। अग्रेतर जांच में पाया गया कि इन में से एक प्रकरण में छ.ग.रा.औ.वि.नि. द्वारा उद्योग को भूमि मार्च 1997 में पहले ही आबंटित किया जा चुका था एवं उद्योग ने नाम परिवर्तन कर नवीन उद्योग की श्रेणी में औद्योगिक नीति के तहत लाभ लिया। एक अन्य प्रकरण में उद्यमी द्वारा एक पुराने उद्योग को खरीदकर नाम में परिवर्तन किया गया तथा उद्योग को नवीन बताया गया। इन उद्योग ने 99.60 एम.यू. विद्युत उर्जा के लिए राशि ₹ 2.30 करोड का छूट का लाभ लिया।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन (नवंबर 2016) द्वारा बताया गया कि छ.ग.रा.औ.वि.नि. ने छत्तीसगढ़ फेरो ट्रेडर्स को 1997 में भूमि आबंटित किया था। उद्योग का उत्पाद कृषी संयंत्र था। तथापि उद्योग स्थापित नही हुआ। औद्योगिक नीति 2009–14 के लागु होने के बाद उसी उद्योग द्वारा नाम परिवर्तन के बाद सेमी फिनीश नान–एलाज स्टील एवं एम एस इनगाट के लिए छत्तीसगढ़ फेरो ट्रेडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड नाम से नये उद्योग की स्थापना की गई। आगे एक अन्य प्रकरण में कविता पौलिमर से पुराने उद्योग की खरीदी के बाद नए निवेश के बाद उद्योग की स्थापना कि गई।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विद्यमान उद्योगों के नाम में परिवर्तन करने से उसे नये उद्योग नहीं माना जा सकता। आगे शासन का उत्तर यह पुष्टि करता है कि उद्योगों द्वारा कुछ नये निवेश कर कुछ नये उत्पादों को सम्मलित किया गया, जोकि औद्योगिक नीति के प्रावधान अनुसार नये उद्योग नहीं माना जा सकता।

2-17 ,s l s m|kxk ftudk uke l s Hkfe ugh Fkh dk vfu;fer NV çnku dh xbZ

foHkkx }kjk ,s l s m|kxk dk vunku Lohdr fd;k x;k tk viu s uke ij Hkfe /kkfjr ugh dj jgs FkA

औद्योगिक नीति 2009–14 के अनुसार नवीन उद्योग इकाई हेतु यह अनिवार्य था की वह भूमि उद्योग के नाम पर धारित करे।

2-17-1 हमने कार्यालय आयुक्त (उद्योग) मे 66 पूंजी निवेश अनुदान एवं 44 ब्याज अनुदान के प्रकरणों की जांच में पाया की आठ[11] प्रकरणो (औद्योगिक नीति 2004–09 के तहत दो प्रकरणों एवं 2009–14 के तहत छः प्रकरणों) में पाया की उद्योगों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन मई 2008 एवं जुलाई 2014 के मध्य किया गया। उद्योग विभाग द्वारा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान ₹ 2.43 करोड़ एवं ब्याज अनुदान ₹ 79 लाख इन उद्योगों को जनवरी 2012 एवं दिसंबर 2015 के मध्य स्वीकृत किया गया। पुनः आगे जांच में पाया गया की इन उद्योगों के नाम पर भूमि का स्वामित्व नहीं था। इस प्रकार

---

10 छत्तीसगढ़ फेरो ट्रेडर्स एवं जय बालाजी प्लास्टिकस

11 अंबे एग्रो, सिंघल फारेस्टरी, एस एस एग्रो, राजनांदगांव पेपर मिल्स, अरोड़ा व्येरहाऊसिंग, गोल्ड ग्रीन इरीगेशन प्रायव्हेट लिमिटेड, सांई बाबा एग्रो एवं शक्ति व्येरहाऊसिंग

यह उद्योग औद्योगिक नीति के अंतर्गत छूट/अनुदान हेतु पात्र नहीं थे। किन्तु विभाग द्वारा ₹ 2.43 करोड़ का अनुदान एवं ₹ 79 लाख का ब्याज अनुदान स्वीकृत किया, जो औद्योगिक नीति के प्रावधान के विपरीत था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवंबर 2016) की औद्योगिक नीति 2004–09 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था की भूमि उद्योग के नाम पर हो। औद्योगिक नीति 2009–14 में 30 वर्ष के पट्टे हेतु प्रावधान किया गया था। पुनः नोटराइस्ड अनुबंध के पंजीयन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि छूट/अनुदान उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु दिया जाता हैं। औद्योगिक नीति 2004–09 के लाभ संचालको को न देकर उद्योगों को दिये गये थे। पुनः स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की संगणना हेतु भूमि का मूल्य भी सम्मलित किया जाता है, अतः भूमि उद्योग के नाम पर पंजीकृत होना विधिनुकूल हैं। औद्योगिक नीति 2009–14 में अनुदान स्वीकृति के प्रकरणों में पट्टो के अनुबंध वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व न तो निष्पादित थे और न ही पंजीकृत थे।

2-17-2 जि.व्य.उ.कें., रायपुर में 117 पूंजी निवेश अनुदान के प्रकरणों की जांच में हमने देखा की चार उद्योगों द्वारा फरवरी 2010 एवं मार्च 2013 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया था। विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2009–14 के अंतर्गत इन उद्योगों को मई 2013 और मार्च 2016 के मध्य में ₹ 69.94 लाख का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृत किया गया। औद्योगिक नीति 2009–14 के अनुसार भूमि इन उद्योगों के नाम पर होनी चाहिए थी। पुनः जांच में पाया गया की इनके पट्टा अनुबंध उद्योगों के नाम मार्च 2010 एवं मई 2014 के मध्य निष्पादित किये गये थे। किन्तु पट्टा अनुबन्धो का पंजीयन वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग में नहीं किया गया था। इस प्रकार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करते समय यह उद्योग अपने नाम से भूमि धारित नहीं कर रहे थे। किन्तु विभाग द्वारा ₹ 69.94 लाख का अनुदान स्वीकृत किया जो औद्योगिक नीति के प्रावधानों के विपरीत था।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा (नवंबर 2016) की पट्टा अनुबन्धों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् पंजीकृत/नोटराइस्ड किया गया था। पुनः पंजीकृत पट्टा/अनुबंध को मान्य किये जाने हेतु आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे।

2-18 'koyhdj.k ij eækd 'kYd l vfu;fer NV

foHkkx }kjk 'koyhdj.k ij enkd 'kYd d Hkxrku ij tkjh fd;s x;s NV iek.k i= fn;k tkuk vfu;fer FkkA

औद्योगिक नीति 2009–14 के अनुसार शवलीकरण (डायवर्सिफिकेशन) से आशय ऐसे उत्पादनरत् विधमान औद्योगिक इकाई/उद्योग से है, जिसने औद्योगिक नीति 2009–14 के नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करते हुए उद्योग स्थापित किया हो तथा सक्षम अधिकारी से ई.एम.पार्ट–II एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करता हो, यदि औद्योगिक नीति 2009–14 के नियत दिनांक के पश्चात् अपने वर्तमान उद्योग में किसी नवीन उत्पाद का समावेश करता है तो नवीन उत्पाद शवलीकृत श्रेणी में आयगा बशर्ते कि औद्योगिक इकाई/उद्योग ने नियत दिनांक 01 नवंबर 2009 के पश्चात् विद्यमान उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में मान्य पूंजी निवेश का न्यूनतम 25 प्रतिशत पूंजी निवेश किया हो। इसके लिए 31 अक्टूबर 2014 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना होगा।

हमनें कार्यालय उप पंजीयक, रायगढ़ में पंजीकृत अभिलेखों की जांच में पाया कि उद्योग विभाग ने औद्योगिक नीति 2009–14 के अंतर्गत शवलीकरण के लिए मेसर्स

जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमीटेड को मुद्रांक शुल्क के भुगतान में छूट के लिए छूट प्रमाण पत्र सितम्बर 2014 में जारी किया जिसका पट्टा अनुबंध नवम्बर 2014 में निष्पादित किया गया।

आगे मुद्रांक शुल्क के भुगतान में छूट के लिए जारी छूट प्रमाणपत्र की जांच में पाया गया कि उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य मार्च 2013 में प्रारंभ किया गया जो औद्योगिक नीति 2009–14 के नियत दिनांक (एप्वाईन्टेड़ डेट) के बाद अर्थात् 1 नवंबर 2009 के बाद हुआ। जि.व्य.उ.कें., रायगढ के अभिलेखो की पुनः जांच में पाया गया कि उद्योग ने नये उत्पाद के लिए वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य अब तक (अप्रैल 2016) प्रारंभ नहीं किया था, जबकी कार्य 31 अक्टुबर 2014 तक प्रारंभ करना चाहिए था। इस प्रकार उद्योग औद्योगिक नीति 2009–14 में दिए गये शर्तों के पालन में विफल रहा, अतः मुद्रांक शुल्क के भुगतान में छूट के लिए पात्र नही था। तथापि उद्योग विभाग द्वारा जारी छूट प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित उप पंजीयक द्वारा ₹ 1.68 करोड़ की छूट प्रदान की गई जो अनियमित था। उद्योग विभाग द्वारा भी राजस्व की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये।

बहिर्गमन सम्मेलन मे शासन (नवंबर 2016) द्वारा बताया गया कि मुद्रांक शुल्क में भुगतान से छूट के लिए जारी छूट प्रमाणपत्र में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का समय सीमा वर्णित रहता है। मुद्रांक शुल्क में छूट उद्योग की स्थापना से पूर्व दी जाती है। वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग द्वारा जून 2010 में जारी अधिसूचना के अनुसार मुद्रांक शुल्क में छूट शवलीकरण में भी देय है। पुनः उद्योग विभाग द्वारा जारी छूट प्रमाण पत्र के अनुसार उद्योग को पांच वर्ष के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य यानि सितम्बर 2019 से पहले किया जाना चाहिए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उद्योग अपने वर्तमान इकाई में 1 नवम्बर 2009 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने में विफल रहा तथा नये उत्पाद का भी वाणिज्यिक उत्पादन औद्योगिक नीति 2009–14 में वर्णीत निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार 31 अक्टूबर 2014 तक प्रारंभ नहीं कर पाया।

2-19 m|kx d foØhr fd;s x, Hkkx ij vfu;fer NwV çek.k i= tkjh fd;k x;kA

m|kx foHkkx }kjk m|kx d foØhr fd;s x; Hkkx ij fo|qr 'kqYd d Hkxrku ls NwV grq vuq'kalk tkjh dhA e-fo-fu- }kjk Hkh vuq'kalk d vk/kkj ij NwV çek.k i= tkjh fd;kA

औद्योगिक नीति 2004–09 एवं इसके तहत जारी अधिसूचना के अनुसार विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की पात्रता मात्र नये उद्योगों को ही हैं। जिन उद्योगों द्वारा अपनी क्षमता में विस्तार किया हैं वह नयी नीति के तहत छूट हेतु पात्र नहीं हैं।

हमने कार्यालय मु.वि.नि. में ''जी'' फार्म की जांच में पाया की मेसर्स शिवालिक पावर एण्ड़ स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारा अपने 8.5 मेगावाट बायो मास टीजी सेट से दिसंबर 2006 मे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया। उद्योग इसके अतिरिक्त मेटल कास्टिंग के ऑटो पार्टस् एवं इंजीन्यरिंग स्पेयरस का भी विनिर्मान करता था। इस प्रकार ऊर्जा के उत्पादन की इकाई इन उद्योग का एक भाग थी। उद्योग द्वारा औद्योगिक नीति 2004–09 के अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ किया था, अतः इस नीति के अंतर्गत वह छूट हेतु पात्र था। पुनः अभिलेखों की जांच में पाया गया की उद्योग द्वारा ऊर्जा के उत्पादन की इकाई को किसी दूसरे उद्योग मेसर्स हीरा फेरो अलाइस लिमिटेड को दिसम्बर 2011 में विक्रीत कर दिया था, जिसका नाम परिवर्तन कर बालाजी पावर

लिमिटेड किया गया था। इस प्रकार मेसर्स शिवालिक पावर एण्ड़ स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड जो वर्तमान में अस्तित्व में हैं, औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत छूट हेतु पात्र था और जिस इकाई का उद्योग द्वारा विक्रय किया गया हैं वह इस नीति के तहत छूट हेतु पात्र नहीं हैं क्योंकि हीरा फेरो अलाइस जो वर्तमान में स्थापित उद्योग था वह किसी छूट हेतु पात्र नहीं था। पुनः ''जी'' फार्मों की जांच में पाया गया की विक्रीत इकाई जिसका नाम परिवर्तन कर बालाजी पावर लिमिटेड किया गया था वह हीरा फेरो अलाइस लिमिटेड के एक उपक्रम (अंडरटेकिंग) के रूप में कार्य कर रही थी। इस प्रकार विक्रीत की गई इकाई वर्तमान इकाई का एक विस्तार के रूप मे कार्य कर रही थी, अतः वह भी छूट हेतु पात्र नहीं थे। किन्तु उद्योग विभाग द्वारा विक्रीत की गई इकाई हेतु अनुशंसा जारी की तथा ऊर्जा विभाग द्वारा छूट को अमान्य कर, उद्योग विभाग को सूचित करने के बजाय वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 15 वर्ष हेतु छूट प्रमाण पत्र जनवरी 2015 मे जारी किया।

उद्योग द्वारा विक्रय करने के पश्चात् से 25.24 एम.यू. विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं उपभोग किया जिस पर विद्युत शुल्क ₹ 70.32 लाख आरोपणीय था। पुनः इसके साथ ही राशि ₹ 38.14 लाख भी छ.ग.रा.वि.वि.कं. को विक्रीत की गई 190.68 एम.यू. विद्युत ऊर्जा पर वसूलनीय हैं।

बहिर्गमन सम्मेलान के दौरान शासन के कहा (नवम्बर 2016) की, विभाग द्वारा सितंबर 2005 में ही उद्योग के एक भाग को अन्य उद्योग का विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिसंबर 2006 से प्रारम्भ किया गया था। इस प्रकार विक्रय के पूर्व पुराने उद्योग को दी गई छूट सही था एवं विक्रय दिनांक से वही लाभ नये उद्योग भी ले सकता है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि जो उद्योग छूट हेतु पात्र थे, ने अपनी इकाई ऐसे उद्योग को किया जो किसी भी छूट हेतु पात्र नहीं था।

2-20 vkS|kfxd uhfr esa vik= m|ksxksa dh lwph esa lEefyr m|ksxksa dk vfu;fer NwV

m|ksxksa ds mRiknu vkS|kfxd uhfr esa vik= m|ksxksa dh lwph esa lEefyr FkA fdUrq foHkkx }kjk eqnzkad 'kqYd ds Hkqxrku ls NwV gsrq çek.k i= tkjh fd;s tks vfu;fer FkA

औद्योगिक नीति में कुछ उद्योगों को अपात्र उद्योगों की श्रेणी में सम्मलित किया गया है, जो उक्त नीति के अंतर्गत किसी भी प्रकार के लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे। औद्योगिक नीति 2004–09 में कनफेक्सनरी, बिस्किट एवं बेकरी उत्पाद (पंजीकृत यंत्रिकीय मशीनरी एवं ब्रांडेड उत्पाद को छोड़कर) और औद्योगिक नीति 2009–14 में कोल ब्रिकेट, कोक एवं कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्युल अपात्र उद्योगों में सम्मलित थे। पुनः औद्योगिक नीतियों 2009–14 एवं 2014–19 के अनुसार अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ संतृप्त श्रेणी के उद्योग की स्थापना की जाती है तो, छूट/रियायत एवं अनुदान की पात्रता का निर्धारण समस्त परियोजना को संतृप्त श्रेणी मानकर किया जावेगा।

2-20-1 दो[12] प्रकरणों मे उद्योग विभाग द्वारा मुद्रांक शुल्क से भुगतान हेतु औद्योगिक नीतियों 2009–14 एवं 2014–19 में अक्टूबर 2012 एवं मई 2015 के मध्य छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। छूट प्रमाण पत्रों की आगे जांच मे पाया गया की इन उद्योगों

12 भाटिया एन्र्जी लिमिटेड़ एवं वेदांता वासरीस लिमिटेड़

द्वारा अपने उत्पाद वॉश कोल का निर्माण, अन्य कोल एवं कोल टार उत्पाद जो अन्य कहीं वर्गीकृत नहीं थे और खनन तथा अग्लोमरेशन ऑफ कोल, कोल वाशरी के साथ प्रदर्शित किया गया था। चूंकि इन उद्योगों के उत्पादों संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची में सम्मलित थी, अतः यह मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्र नहीं थे। किन्तु विभाग द्वारा अक्टुबर 2012 और मई 2015 के मध्य मे छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये।

इन उद्योगों द्वारा 42.633 हेक्टेयर भूमि का क्रय किया गया। भारतीय मुद्रांक अधिनियम एवं बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के अनुसार मुद्रांक शुल्क ₹ 37.11 लाख आरोपणीय था। किन्तु संबंधित उप पंजीयकों द्वारा मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की इन उद्योगों के उत्पाद कोल वाशरी था, जो अपात्र उद्योगों की श्रेणी मे सम्मलित नहीं थे।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि औद्योगिक नीति के अनुसार अगर कोई भी श्रेणी का उद्योग अगर संतृप्त श्रेणी का उद्योग के साथ स्थापित किया जाता है तो संपूर्ण परियोजना को संतृप्त श्रेणी मानकर अनुदान एवं रियायत का निर्धारण किया जाएगा एवं इस प्रकरण में उद्योग कोल वाशरी के अलावा अन्य कोल उत्पादों का भी उत्पादन कर रहा था।

2-20-2 छ.ग.रा.औ.वि.नि. कार्यालय में छूट प्रकरणों की जांच मे हमने पाया की दो[13] प्रकरणों में छ.ग.रा.औ.वि.नि. द्वारा औद्योगिक नीति 2009–14 के अंतर्गत राइस मिल एवं मिनी सीमेंट प्लांट को प्रीमियम के भुगतान मे 50 प्रतिशत की अनुदान दी गई। चूंकि उक्त उत्पाद औद्योगिक नीति 2009–14 में अपात्र उद्योगों की श्रेणी में सम्मलित थें, अतः ₹ 21.55 लाख की दी गई अनुदान अनियमित थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवंबर 2016) की उद्योग पिछड़े क्षेत्र में स्थित हैं। औद्योगिक नीति 2014–19 के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों में स्थित राइस मिल अपात्र उद्योग की श्रेणी में सम्मलित नहीं हैं। पुनः दूसरे उद्योग का उत्पाद सीमेंट पाइप अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मलित नहीं था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि अनुदान औद्योगिक नीति 2009–14 के अंतर्गत प्रदान की गई थी, जिसमें राइस मिल अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मलित था और दूसरे प्रकरण में ईएम पार्ट I के अनुसार उद्योग का उत्पाद सीमेंट था।

2-20-3 आयुक्त (उद्योग) के कार्यालय में विद्युत शुल्क के छूट के 157 प्रकरणों, मुद्रांक शुल्क से छूट के 37 प्रकरणों, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के 66 प्रकरणों और ब्याज अनुदान के 44 प्रकरणों की जांच में पाया गया की उद्योग विभाग द्वारा एक बेकरी उद्योग को औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत ₹ 15.99 लाख की पूंजी अनुदान स्वीकृत (मार्च 2013) किया गया, जिसने नवम्बर 2009 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया था। पुनः जांच में पाया गया की उद्योग को यांत्रिकीय प्रोसेस से ब्रांडेड उत्पाद तैयार करने हेतु प्रमाण पत्र दिसंबर 2010 में जारी किया गया था। उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट हैं की वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि को उद्योग द्वारा अनब्रांडेड बेकरी उत्पाद का निर्माण किया जा रहा था। अतः उद्योग पूंजी अनुदान हेतु पात्र नहीं था। किन्तु विभाग द्वारा ₹ 15.99 लाख का पूंजी अनुदान स्वीकृत किया गया, जो अनियमित था।

---

13 बस्तर एग्रो एवं कृष्णा सिमेंट

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की उद्योग को ट्रेड मार्क जून 2008 में स्वीकृत हो चुका था, जो वाणिज्यिक उत्पादन नवम्बर 2009 के पूर्व था। किन्तु ट्रेड मार्क दिसम्बर 2010 में जारी किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि पर उद्योग के पास ट्रेड मार्क प्रमाण पत्र नहीं था।

2-20-4 कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में छूट एवं अनुदान के अभिलेखों की जांच में पाया गया की उद्योग विभाग द्वारा नवम्बर 2007 में औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत मेसर्स सी. जी. कोल एण्ड़ पावर लिमिटेड को 4.148 हेक्टेयर भूमि का पट्टा अनुबंध हेतु मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी किया गया। चूंकि उद्योग का उत्पाद कोल बेनिफिकेशन एवं कोल डस्ट था जो उक्त नीति के परिशिष्ठ 2, के सरल क्रमांक 14 के अनुसार अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मलित था, अतः दी गई छूट अनियमित थी। पुनः जांच में यह पाया गया की कंपनी ने पर्याप्त भूमि का आबंटन न होने का कारण दर्शाते हुए अतिरिक्त भूमि की मांग की तथा छूट प्रमाण पत्र में उल्लेखित अवधि तक वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ नहीं किया। इस प्रकार उद्योग न केवल औद्योगिक नीति 2004–09 में वर्णित निबंधनों एवं शर्तों का पालन करने में विफल रहा अपितु उद्योग का उत्पाद भी अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मलित था। विभाग को मुद्रांक शुल्क की राशि ब्याज सहित वसूल करनी चाहिए थी। किन्तु मुद्रांक शुल्क की राशि की वसूली ब्याज सहित किए जाने के बजाय उद्योग विभाग द्वारा अगस्त 2014 में दूसरी औद्योगिक नीति 2009–14 में नया उद्योग मानकर पुनः मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा दो पट्टा अनुबन्धो के निष्पादन मे राशि ₹ 1.64 लाख के मुद्रांक शुल्क से भुगतान से छूट का लाभ लिया।

इस प्रकार विभाग द्वारा ऐसे उद्योग को दो अलग अलग औद्योगिक नीतियों में लाभ दिया गया जो न केवल अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मलित थे, अपितु निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने में विफल रहा था, जिसके कारण उद्योग को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की चूंकि उद्योग निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने में विफल रहा इसलिए जुलाई 2016 में मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किया गया हैं।

2-21 u;s mRikn ds lekos'k ij vfu;fer NwV

m|kx foHkkx }kjk u;s mRikn dk lekos'k dks m|kx dk foLrkj ekudj ,d m|kx dks vuqnku dh Lohd`fr iznku dhA

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–1 के टीप (1) के अनुसार विधमान उद्योग में नवीन उत्पाद का समावेश नवीन उद्योग की श्रेणी में मान्य नहीं होगा।

हमनें कार्यालय जि.व्य.उ.कें., रायपुर में स्थायी पूंजी अनुदान से संबंधित 117 प्रकरणों की जांच में पाया कि मेसर्स मोहन फिड्स एण्ड़ केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड़ 1987 से कैटल फिड का उत्पादन कर रही थी। कैटल फिड की उत्पादन क्षमता 12,500 मैट्रीक टन थी। उद्योग द्वारा नए उत्पाद पोल्ट्री फिड एवं फिस फिड को जोड़कर उत्पादन क्षमता का विस्तार 12,500 मैट्रीक टन से 25,000 मैट्रीक टन किया गया। चूंकि उद्योग ने विधमान उद्योग में ही नवीन उत्पाद का समावेश किया था, अतः इन उद्योग को नवीन उद्योग की श्रेणी में मान्य नहीं होगा तथा औद्योगिक नीति के अंतर्गत किसी छूट/अनुदान हेतु पात्र नही था। तथापि उद्योग विभाग ने फरवरी 2015 में स्थायी पूंजी

निवेश अनुदान की राशि ₹ 30 लाख की स्वीकृति प्रदान की। अतः नवीन उत्पाद का समावेश विधमान उद्योग में किये जाने से इसे नवीन उद्योग की श्रेणी में मान्य किया जाकर स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की स्वीकृति अनियमित था।

बहिगर्मन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि औद्योगिक नीति 2009–14 के अंतर्गत नवीन उत्पाद का समावेश विद्यमान उद्योग में शवलीकरण के अंतर्गत किया गया। शवलीकृत उद्योग भी छूट के पात्र होते हैं। पोल्ट्री फिड तथा फिस फिड का समावेश नवीन उत्पाद की जगह शवलीकरण माना गया।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नही हैं, क्योंकि विभाग द्वारा जारी किये गये उत्पादन प्रमाण पत्र के अनुसार पोल्ट्री फिड तथा कैटल फिड को नवीन उत्पाद माना गया है।

2-22 fu/kkfjr le;kof/k e vkonu ugh dju okyk m|kxk dk vfu;fer vuqnku dh Lohd`fr

m|kx foHkkx }kjk ,sl m|kxk dk vuqnku Lohd`r fd;k Fkk tk vf/klwpuk dh mYyf[kr vof/k e vkonu dju e foQy jg FkA

मार्च 2012 में जारी अधिसूचना के अनुसार उद्योगो द्वारा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के लिए आवेदन वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए।

2-22-1 हमनें कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान से संबंधित 66 प्रकरणों तथा ब्याज अनुदान से संबंधित 44 प्रकरणों की जांच में पाया कि उद्योग मेसर्स थर्मोकेयर रॉकवुल (इण्डस्ट्रीज) प्रायव्हेट लिमिटेड ने अगस्त 2007 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया था। अधिसूचना के अनुसार उद्योग को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना चाहिए था। तथापि उद्योग द्वारा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान हेतु जून 2010 में दो वर्ष छः माह विलंब से आवेदन यह कारण देते हुए किया गया कि शासन द्वारा उद्योग को विशेष थ्रस्ट का दर्जा सितम्बर 2009 में प्रदान किया गया। उद्योग विभाग ने विलंब के कारण को स्वीकार करते हुए राशि ₹ 25 लाख स्थायी पूंजी अनुदान स्वीकृत किया। आगे उद्योग के आवेदन की जांच में पाया गया कि उद्योग द्वारा विशेष थ्रस्ट के लिए आवेदन फरवरी 2009 में किया गया जो की निर्धारित समयावधि से बाद का था। इस प्रकार उद्योग द्वारा दिये गये आवेदन को निरस्त किया जाना चाहिए था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि उद्योग को उद्योग संचालनालय द्वारा सितम्बर 2009 में विशेष थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा प्रदान किया गया था। उद्योग को विशेष थ्रस्ट का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात् ही अनुदान हेतु पात्र बना और विशेष थ्रस्ट दर्जा प्राप्त होने के एक वर्ष के अंदर (जून 2010) में आवेदन किया।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उद्योग द्वारा आवेदन विलंब से जमा करने बाबत् कोई ठोस कारण नहीं दिया था। पुनः विशेष थ्रस्ट का दर्जा वाले स्वीकृति में भी यह उल्लेख नहीं था की उद्योग इस स्वीकृति के एक वर्ष के अंदर आवेदन करें। समिति द्वारा भी आवेदन को मान्य करने हेतु कोई पर्याप्त कारण नहीं दिया था।

2-22-2 इसी प्रकार कार्यालय जि.व्य.उ.कें., राजनांदगांव में स्थायी पूंजी अनुदान से संबंधित 42 प्रकरणों की जांच में हमनें पाया कि मेसर्स जैन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एवं मेसर्स जैन इन्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन ने मई 2011 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया। आगे जांच में पाया गया कि इन उद्योगो द्वारा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के लिए जून 2014 में तीन वर्ष से अधिक विलंब के बाद आवेदन किया गया। उद्योग ने आवेदन के विलंब से जमा होने का कोई कारण नही बताया। इस प्रकार उद्योगों द्वारा दिये गये

आवेदनों को मान्य नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि विभाग ने बिना किसी कारण दर्शाये आवेदन को स्वीकार कर राशि ₹ 4.91 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि निर्धारित समयावधि में सितम्बर 2011 में आवेदन प्राप्त हो गए थे।

शासन द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूंजी अनुदान के आवेदन के प्राप्त होने की पावती के अनुसार उद्योग द्वारा जून 2014 में आवेदन दिया था।

2-23 m|kx dk fcuk ekU; nLrkot d vk/kkj ij vufpr ykHk fn;k x;kA

m|kx foHkkx }kjk QDVh y&vkÅV ,o QDVh ykbl l tkjh fd; tku d igy gh okf.kfT;d mRiknu dk ikjHk ekU; dj fo|r 'kYd l Hkxrku dh NV gr vu'kl k tkjh dh xbA

औद्योगिक नीति 2004–09 के अनुसार नई औद्योगिक इकाई का आशय ऐसे औद्योगिक इकाई से है जिनके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन 1 नवंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2009 तक प्रारंभ किया गया हो। आगे औद्योगिक नीति 2009–14 के अनुसार नवीन उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है जिनके द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2009 या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित हो तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति इ.एम.पार्ट–I/आई.इ.एम., आशय पत्र, औद्योगिक लायसेंस धारित हो एवं उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम.पार्ट–II तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो।

हमनें कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में छूट से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया कि विभाग द्वारा मेसर्स एरिस्टो ट्रांसमिशन लाइन प्रायव्हेट लिमिटेड को विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट के लिए औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत अनुशंसा जारी की गई थी। तदानुसार ऊर्जा विभाग द्वारा अप्रैल 2010 से 10 वर्ष के लिए विद्युत शुल्क भुगतान के लिए छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया।

आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया कि छ.ग.रा.औ.वि.नि. द्वारा आबंटित भूमि के पट्टा विलेख का पंजीयन फरवरी 2010 में कराया गया और फैक्ट्री के भवन निर्माण का ले–आऊट की स्वीकृती मई 2010 में दी गई थी। फैक्ट्री लाइसेंस जुलाई 2010 में जारी किया गया था। अतः उद्योग को फैक्ट्री ले–आऊट एवं फैक्ट्री लाइसेंस स्वीकृत करने के दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन (अप्रैल 2010) प्रारंभ करना संभव नहीं था।

उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से विद्युत शुल्क भुगतान में छूट का लाभ राशि ₹ 14.27 लाख जो कि दिया गया, वह अनियमित था।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि उद्योग को विद्युत की आपूर्ति फरवरी 2010 से प्रारंभ की गई थी। आगे उद्योग द्वारा उद्योग को स्थापित करनें की अन्य क्रियाकलापों 2009 से प्रारंभ किया जा चुका था। अतः वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करनें का दिनांक अप्रैल 2010 सही है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उद्योग द्वारा फरवरी 2010 में भूमि का अधिपत्य प्राप्त किया था तथा ले–आऊट एवं फैक्ट्री लाईसेंस क्रमशः मई 2010 एवं

जुलाई 2010 में स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत ले–आऊट एवं लाईसेंस के बगैर उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारंभ किया जाना संभव नहीं था।

fuxjkuh r=

उद्योग विभाग, वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग एवं ऊर्जा विभाग में आपसी समन्वय का अभाव था। आवश्यक सूचना जैसे ऐसे उद्योगों की सूची जिनहे छूट प्रदान की गई हैं, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की संभावित तिथि, उद्योगों के स्थान एवं क्षेत्र एवं छूट की राशि को वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग द्वारा संधारित की जानी चाहिए थी, किन्तु आवश्यक सूचना विभाग के पास नहीं थी। निगरानी तंत्र जो महत्वपूर्ण भाग हैं वह उद्योग विभाग में नहीं था। जिसके कारण उद्योग विभाग ऐसे उद्योगों से अनभिज्ञ रहा जिसने छूट प्राप्त कर उद्योगों की स्थापना नहीं की थी और अनुदान प्राप्ति के पश्चात् निर्धारित अवधि में कम से कम पाँच वर्ष तक कार्यरत नहीं थी। उद्योग विभाग इस बात से भी अनभिज्ञ रहा की उद्योगों द्वारा सम्पूर्ण भूमि का परिवर्तन औद्योगिक प्रयोजन हेतु नहीं किया था।

2-24 leUo;] nLrkost ,o fuxjkuh dk vHkko

dk;kfUor ,tlh] okf.kfT;d dj ¼itthdj.k½ foHkkx ,o Åtk foHkkx e leUo; dk vHkko FkkA

औद्योगिक नीति को क्रियान्वित करना एवं विशिष्ट छूट की सीमा तक छूट एवं अनुदान को सम्मलित करते हुये तीन विभागों की लेखापरीक्षा जैसे वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग मुद्रांक शुल्क से छूट के लिए और ऊर्जा विभाग विद्युत शुल्क से छूट के लिए साथ ही उद्योग विभाग, जो नीतियों के क्रियान्वयन में स्थायी पूंजी अनुदान एवं ब्याज अनुदान की स्वीकृति देता है के अतिरिक्त संपन्न की गई।

औद्योगिक नीति के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु इसमें सम्मलित सभी विभागों में विस्तृत प्रक्रिया/तंत्र जो दस्तावेजी अभिलेखों के साथ स्पष्ट तरह से वर्णित हो जिसमें प्रत्येक विभाग का अपना उत्तरदायित्व, जो न केवल इन छूट/अनुदान की स्वीकृति कुछ विशेष शर्तों के पालन पर के साथ अपितु औद्योगिक नीति में उल्लेखित किसी विशेष शर्तों के उल्लंघन पर वापस लिया जा सके।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा की वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग के पास जिन उद्योगों ने लाभ प्राप्त किया था उनके उद्योग की स्थापना अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने संबंधी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। पुनः जो आवश्यक सूचना विभागीय मुख्यालय स्तर पर तैयार की जानी चाहिए थी वह तैयार नहीं की गई थी। जिसके अभाव में वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी की जिन उद्योगों को छूट प्रमाण पत्र प्रदान किये गये थे उनकी स्थिति एवं किसी विशिष्ट इकाई द्वारा छूट प्राप्त करने हेतु औद्योगिक नीति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किया जा रहा हैं या नहीं। पुनः वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग द्वारा इस प्रकार की सूचना एकत्रित/तैयार/रखने हेतु कोई कार्यवाही नहीं कि थी।

पुनः, आयुक्त (उद्योग) द्वारा मुद्रांक शुल्क से छूट के प्रमाण पत्रों से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया की वर्ष 2010–11 में 48 उद्योगों को छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। इसका प्रतिसत्यापन जि.व्य.उ.कें., राजनन्दगाँव एवं रायगढ़ की अभिलेखों से किये जाने पर यह पाया गया की इन 48 उद्योगों में से सात उद्योगों द्वारा पंजीयन नहीं कराया था, दो निर्माणाधीन थे, नौ की स्थापना नहीं की गई थी और छूट प्रमाण पत्र

जारी किये जाने के बाद चार बंद हुआ था। पुनः जि.व्य.उ.कें., रायपुर ने बताया की एक उद्योग विद्युत शुल्क से छूट एवं ब्याज अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् बंद हुआ था। किन्तु, आयुक्त (उद्योग) से छूट प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् कितने उद्योग जो कार्यरत नहीं हैं या जिनकी स्थापना नहीं हुई हैं ऐसे उद्योगों को विवरण मांगे जाने पर उत्तर में कहा गया की छूट प्राप्त करने के पश्चात् कोई भी उद्योग बंद नहीं हुआ हैं जो क्रियान्वित एजेंसी के स्तर पर निगरानी की कमियाँ को दर्शाता है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार हमने देखा की औद्योगिक नीति के अंतर्गत छूट/अनुदान की स्वीकृति हेतु विभागों में कोई लिखित प्रक्रिया नहीं हैं जिससे सम्मलित विभागों का कोई उत्तरदायित्व हो।

पुनः औद्योगिक नीति के तहत आयुक्त (उद्योग), जि.व्य.उ.कें., मु.वि.नि. एवं उप पंजीयकों के अभिलखो की जांच में पाया गया की क्रियान्वित एजेंसी एवं विभागों के मध्य कोई समन्वय नहीं था। विभागों में समन्वय एवं प्रलेखों के अभाव में और क्रियान्वित विभाग में निगरानी प्रणाली के अभाव में निम्नानुसार विसंगतिया दृष्टिगत हुईः

- उद्योगों को औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का आबंटन किया गया था जिसका पूर्ण उपभोग आबंटित उद्देश्य हेतु नहीं किया जा रहा था किन्तु छूट/अनुदान स्वीकृत किया गया (कंडिका 2.26 में वर्णित)

- ऐसे प्रकरणों, जिसमें उद्योगों द्वारा छूट का लाभ लेकर भी उद्योगों की स्थापना नहीं की गई थी, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी (कंडिका 2.25 में वर्णित)

- उद्योग विभाग को प्रकरण वापस करने के बजाय मु.वि.नि. द्वारा ऐसी इकाई को छूट प्रदान की गई थी जिसने पूर्ववर्ती नीति में लाभ प्राप्त किया था (कंडिका 2.13 में वर्णित)

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की विभाग द्वारा 2016 से सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम की शुरूआत की गई हैं जिसमें उद्योग की स्थापना का उद्देश्य, विभिन्न विभागों से स्वीकृति एवं अनुदान/छूट प्रमाण पत्रो को ऑनलाइन जारी किया जावेगा। पुनः उद्योग से सबंधित सम्पूर्ण जानकारी जैसे कार्यरत, विद्युत ऊर्जा के कनेक्शन, वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ आदि एक ही पोर्टल पर उपलब्ध है।

'kklu fuxjkuh r= dk lqn< djus mn~|kx ,oa nljs foHkkxk esa leUo; LFkkfir djus ,oa ykHkçn mn~|kxk dk MkVk csl r;kj djus ckcr fopkj djs rkfd vkS|kfxd uhfr ds ykHk vius= mn~|kxk }kjk çkIr u fd, tk ldA

2-25 NwV fy, tkus ds ckn Hkh mn~|kx dh LFkkiuk ugh gkuk

mn~|kx foHkkx }kjk vkS|kfxd uhfr ds rgr ykHk fy, x;s mn~|kxk ds HkkSfrd lR;kiu grq dkbZ jkLVj r;kj ugh fd;k x;k FkkA iqu% mn~|kxk }kjk foHkkx esa okf"kZd fooj.kh Hkh tek ugh fd;k x;k] foHkkx ,sls mn~|kxk ls enkd 'kYd dh olyh djus esa foQy jgk] ftlls fu/kkfjr vof/k esa okf.kfT;d mRiknu izkjEHk ugh fd;k FkkA

उद्योग विभाग द्वारा मुद्रांक शुल्क से भुगतान में छूट के लिए जारी छूट प्रमाणपत्र के शर्तों के अनुसार, उद्योगो को छूट प्रमाणपत्र जारी होने के दिनांक से दो से पाँच वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना चाहिए। छूट प्रमाणपत्र के शर्तों का उल्लंघन

होने पर, उद्योग से मुद्रांक शुल्क भुगतान में दिये गये छूट की राशि की वापसी के साथ 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी वसूलनीय है।

हमनें चयनित जि.व्य.उ.कें. के छूट एवं अनुदान से संबंधित प्रकरणों की जांच में पाया कि उद्योगों द्वारा वार्षिकी लेखापरीक्षीत लेखा (एनैयूल औडीटेड़ एकाऊन्ट) तथा उत्पादन/विक्रय पत्रक जमा नही किया गया। जि.व्य.उ.कें. ने भी आवश्यक विवरणी के प्राप्ति के लिए भी किसी तरह की कार्यवाही प्रारंभ नही कि थी। आगे जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा विभिन्न औद्योगिक नीति के अंतर्गत लाभान्वीत उद्योग के लिए भौतिक निरीक्षण के लिए कोई रोस्टर तैयार नही किया गया था, जिससे विभागों को लाभों के दुरूपयोग का जोखिम की संवेदनशीलता बना रहता है, जैसे की निचे वार्णित किया गया है।

हमनें तीन उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों की जांच में पाया कि पांच[14]उद्योगो ने उद्योग की स्थापना हेतु भूमि के क्रय के लिए मुद्रांक शुल्क से भुगतान में छूट का लाभ लिया। विभाग ने मुद्रांक शुल्क की भूगतान में छूट के लिए छूट प्रमाणपत्र दिसम्बर 2007 एवं मार्च 2014 के बीच जारी किया। उद्योग विभाग से प्रतिसत्यापन किये जाने के बाद पाया गया कि चार उद्योगों द्वारा प्रमाण पत्रों में वर्णित अवधि के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने में विफल रहा एवं एक उद्योग ने अपनी संपूर्ण भूमि को अन्य उद्योग को विक्रय कर दिया।

वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग ने उद्योग विभाग के द्वारा जारी छूट प्रमाणपत्र के आधार पर मुद्रांक शुल्क भुगतान में छूट के लिए छूट प्रमाणपत्र इन उद्योगो को विक्रय/पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीकरण पर स्वीकृत किया गया। भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम एवं बाजार मुल्य मार्गदर्शिका के अनुसार इन उद्योगों द्वारा निष्पादित किये गये विक्रय/पट्टा विलेख के आधार पर राशि ₹ 4.61 करोड़ वसूलनीय था। न तो उद्योग विभाग ने मुद्रांक शुल्क वापसी के लिए कार्यवाही कि न ही वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग ने इन प्रमाणपत्र को निरस्तीकरण के लिए कोई सूचना उद्योग विभाग को दी।

इस प्रकार दोनों विभागों की ओर से निष्क्रियता के कारण मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट की राशि ₹ 4.61 करोड़ दोषी उद्योग से वसूली नही किया जा सका। इसके अलावा छूट प्रमाण पत्र में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ब्याज भी वसूलनीय है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन (नवंबर 2016) द्वारा बताया गया कि मुद्रांक शुल्क की वसूली के लिए मांग पत्र जारी किया गया है।

2-26 NV iłkfIr d i'pkr Hkfe dk vi'krk miHkkx fd;k tkuk

m|kx NV iek.k i= e mYyf[kr 'krk d fo:) Hkfe dk i.k i;ktu grq dju e foQy jgkA fdUrq m|kx foHkkx u vunku dh Lohdfr inku dh xbA

मुद्रांक शुल्क से भुगतान में छूट के लिए उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये छूट प्रमाण पत्र में शर्तों के अनुसार उद्योगों को आबंटित सम्पूर्ण भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन के लिए करना चाहिए। यदि छूट प्रमाण पत्र में दिए गए शर्तों के पालन में उद्योग विफल होता है तो उद्योग को मुद्रांक शुल्क की राशि पर 12.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की देनदारी होगी।

---

[14] बलदेव एन्र्जी केमिकल्स, ईमामी सिमेंट, सोना पावर, वंदना इस्पात लिमिटेड़ एवं वंदना विघुत लिमिटेड

2-26-1 हमने कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में मुद्रांक शुल्क से छूट से संबंधित 37 प्रकरणों तथा स्थायी पूंजी अनुदान से संबंधित 66 प्रकरणों की जांच में पाया कि उद्योग विभाग द्वारा मेसर्स महादेवी राइस मिल को औधोगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट (नवंबर 2008) के लिए 1.090 हेक्टेयर की भूमि खरीदी हेतु छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य अक्टुबर 2010 से प्रारंभ किया गया। आगे जांच में पाया गया कि उद्योग द्वारा सम्पूर्ण भूमि को औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित नहीं किया गया। इसलिए उद्योग विभाग ने राशि ₹ 23.85 लाख की स्थायी पूंजी निवेश अनुदान भूमि के कीमत को छोड़कर स्वीकृत किया। एक अन्य प्रकरण में विभाग द्वारा मेसर्स टंकेश्वरी मेटल प्रोडक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड को औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत 3.13 हेक्टेयर भूमि के क्रय हेतु मुद्रांक शुल्क की भुगतान में छूट के लिए छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया (जुलाई 2007)। उद्योग ने नवंबर 2008 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया। आगे जांच में पाया गया कि उद्योग ने कुल 3.13 हेक्टेयर भूमि में से सिर्फ 2 हेक्टेयर भूमि को व्यपवर्तित कराया। विभाग द्वारा उद्योग को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान राशि ₹ 25 लाख भूमि के किमत सहित स्वीकृत किया गया।

इस तरह इन उद्योगों द्वारा औद्योगिक नीति के अंतर्गत जारी किये गये प्रमाणपत्र के निबंधनों एवं शर्तों को पुरा करने में विफल रहा। अतः ये उद्योग कोई छूट एवं अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं थे। परन्तु उद्योग विभाग द्वारा ₹ 48.85 लाख का अनुदान स्वीकृत किया जाना अनियमित था।

2-26-2 इसी प्रकार हमनें कार्यालय जि.व्य.उ.कें., राजनांदगांव में अनुदान से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया कि विभाग ने मेसर्स पंचशील साल्वेंट को औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत 5.40 हेक्टेयर भूमि के क्रय के लिए मुद्रांक शुल्क भुगतान (जनवरी 2009) में छूट के लिए छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया। छूट प्रमाण पत्र में दिये गये अन्य शर्तों के अनुसार कंपनी ने वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य प्रमाण पत्र जारी होने के दो वर्ष के अंदर प्रारंभ किया जाना था। उद्योग ने अप्रैल 2011 में वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया। आगें जांच में पाया गया कि उद्योग ने 5.40 हेक्टेयर भूमि में से 1.56 हेक्टेयर भूमि का व्यपवर्तन औद्योगिक प्रयोजन हेतु कराया। इस प्रकार उद्योग न सिर्फ वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य प्रारंभ करने में विफल रहा बल्कि समस्त भूमि को औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने में भी विफल रहा। इसलीए उद्योग, औद्योगिक नीति के तहत किसी भी अनुदान/छूट के लिए पात्र नहीं था। इसके बावजूद उद्योग विभाग ने मुद्रांक शुल्क भुगतान की छूट की राशि की वसूली बगैर राशि ₹ 1.10 करोड़ की स्थायी पूंजी अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जो की अनियमित था।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है की उद्योग विभाग में निगरानी तंत्र की कमी है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की छूट/अनुदान ऐसे उद्योगों को स्वीकृत किये जा रहे है जिससे औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन (नवंबर 2016) द्वारा बताया गया कि अनुदान एवं मुद्रांक शुल्क की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

2-27 ,l! m|kx tk fujrj dk;jr ugh Fk mUg vunku@NV dh vfu;fer Lohdfr

fuxjkuh r= d! vHkko e! foHkkx }kjk ,l! m|kxk dk vunku Lohd'r fd;k x;k Fkk] tk fujrj dk;jr ugh FkA

औद्योगिक नीति के अंतर्गत जुलाई 2003 में जारी अधिसूचना संख्या एफ–14–2/03 के अनुसार यह आवश्यक है किसी उद्योग के लिए जारी छूट/अनुदान के लिए निरंतर

पांच वर्ष तक कार्य करना होगा अन्यथा दिया गया अनुदान वसूलनीय है। आगे छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश नियम, 2009 के कंडिका क्रमांक 10 के अनुसार उन उद्योगों के लिए जिन्हे ₹ 25 लाख या इससे अधिक का अनुदान प्राप्त करते है उन्हे पांच वर्षों तक उत्पादन/विक्रय की जानकारी सहित वार्षिकी लेखापरीक्षीत लेखा (एनैयूल औडीटेड़ एकाऊन्ट) जमा करना होगा।

2-27-1 हमने कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में छूट एवं अनुदान से संबंधित अभिलेखों के जांच में पाया कि उद्योग मेसर्स प्रीयदर्शी राईस प्रोडक्ट द्वारा जुलाई 2010 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया। उद्योग विभाग द्वारा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/ब्याज अनुदान की राशि ₹ 1.95 करोड़ मार्च 2013 में स्वीकृत किया। आगे जांच में पाया गया कि छ.ग.रा.वि.उ.कं द्वारा जनवरी 2013 में विद्युत आपूर्ति बंद कर दि गई। इस प्रकार कंपनी अनुदान जारी के समय कार्यरत नही था। इसके बावजूद विभाग द्वारा अनुदान राशि ₹ 1.95 करोड जारी किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन द्वारा (नवंबर 2016) बताया गया कि विद्युत आपूर्ति बंद होने की जानकारी मिलने के बाद से छूट नही दिया गया।

2-27-2 आगे कार्यालय जि.व्य.उ.कें., राजनांदगांव में छूट एवं अनुदान से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मेसर्स सावरिया रिनेवल एर्न्जी लिमिटेड द्वारा जनवरी 2012 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया। विभाग ने राशि ₹ 80.79 लाख की स्थायी पूंजी निवेश की स्वीकृति (नवंबर 2014) में दी। आगे जांच में पाया गया कि मार्च 2014 में उद्योग का विक्रय हेतु करार किया गया तथा सितम्बर 2015 में उद्योग की विद्युत आपुर्ति भी बंद कर दी गई।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन द्वारा (नवंबर 2016) में बताया गया कि जांच पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2-27-3 इसी प्रकार विभाग द्वारा मेसर्स बालाजी विद्युत एण्ड़ स्पंज लिमिटेड को मार्च 2004 में 3.242 हेक्टेयर भूमि के क्रय के लिए मुद्रांक शुल्क की भुगतान में छूट के लिए छूट प्रमाणपत्र जारी किया गया। उद्योग ने राशि ₹ 1.65 लाख भूमि के क्रय के लिए छूट प्राप्त किया। आगे जांच में पाया गया कि उद्योग की स्थापना किए बिना पूर्ण भूमि को अन्य उद्योग मेसर्स बलदेव एलायज लिमिटेड को अगस्त 2006 में विक्रय कर दिया गया। अतः राशि ₹ 1.65 लाख का मुद्रांक शुल्क से दिया गया छूट अनियमित था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन (नवंबर 2016) द्वारा बताया गया कि भूमि का विक्रय संबंधित सूचना विभाग के पास उपलब्ध नही था। तथापि मुद्रांक शुल्क वसूलने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जा रहा है।

चूंकि इन उद्योगों द्वारा औद्योगिक नीति के शर्तों के पालन में विफल रहने से दिया गया छूट/अनुदान राशि ₹ 2.77 करोड़ उद्योगों से वसूलनीय है। तथापि निगरानी तंत्र के अभाव में विभाग द्वारा राशि को वसूलने के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही किया गया।

vU; enn

2-28 Hk&iVhfe;e dk de vkjksi.k

N-x-jk-vk-fo-fu- }kjk ,d m|ksx dks 80 fQV pkSMh jkM ij fLFkr vkcafVr Hkfe gsrq nj dk 10 ifr'kr dh nj ls c<kus esa foQy jgk ifj.kkeLo:Ik Hk&iVhfe;e dk de vkjksi.k gqvkA

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के कंडिका क्रमांक 2.5.14 के अनुसार कोने एवं 80 फुट अधिक चौडी सडक पर अवस्थित भू–खण्ड़ो/भवनों के आबंटन पर सामान्य दरों से 10 प्रतिशत अतिरिक्त भू–प्रीमियम वसूली जावेगी। आगे आशेय पत्र में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार भूमि आबंटन पत्र (लैंड एलाटमेन्ट लेटर) जारी होने के पश्चात् 60 दिवसों के अंदर पट्टा विलेख का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है। आगे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग यदि आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है तो उन्हे भू–प्रीमियम पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त छूट/रियायत दी जायगी।

छ.ग.रा.औ.वि.नि. के कार्यालय में भू–प्रीमियम से छूट से संबंधित नस्ति की जांच के दौरान पाया कि एक[15] उद्योग को भू–प्रीमियम में 50 प्रतिशत की छूट 48,420 वर्ग फुट भूमि के लिए ₹ 4.95 लाख राशि प्राप्त कर आबंटित किया गया। आगे जांच में पाया गया कि सितम्बर 2015 में जारी भू आबंटन पत्र के अनुसार उक्त भूमि 100 फीट चौडी सड़क पर अवस्थित था, अतः इसपर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त भू–प्रीमियम देय था। परन्तु छ.ग.रा.औ.वि.नि द्वारा अतिरिक्त भू–प्रीमियम के आरोपण करने में विफल रहने के कारण भू–प्रीमियम की राशि ₹ 49,483 का कम आरोपण हुआ। आगे उद्योग के द्वारा पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रति भी जमा नही कराया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा बताया (नवंबर 2016) गया कि भू–प्रीमियम की वसूली हेतु मांग पत्र जारी कि जा चूकी है।

2-29 fj;k;r Lohdfr dh mís';ksa dh izkfIr u gksuk

'kklu fiNMs {ks=ksa esa vkS|ksfxd LFkkiuk ds mís'; dks iw.kZ djus esa foQy jgk] blds vkSj vkS|ksfxd uhfr ds ykHkksa ls Hkh og oafpr jgkA

छत्तीसगढ शासन द्वारा औद्योगिक नीतियों को राज्य में उद्योगों के संतुलित विकास के लिए लागु की गई। अन्य उद्देश्यों के अलावा शासन का लक्ष्य स्व–रोजगार का सृजन के साथ स्थानीय निवासियों, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाऐं, नक्सल प्रभावित परिवारों को औद्योगिक विकास के मुख्य धारा में लाने हेतु विशेष प्रयास किया जाना था।

विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत उद्योगों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं संबंधित अभिलेखों की जांच में हमने पाया की यद्यपि शासन द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने हेतु पर्याप्त प्रावधानों किये गये थे, परन्तु उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापना में रूचि नहीं लिए जाने के कारण राज्य के पिछड़े क्षेत्रों औद्योगिक नीतियों के लाभों से वंचित रहा, जैसे कि rkfydk 2-3 में प्रदर्शित किया गया है:

rkfydk 2-3% fiNMs {ks=ksa esa Lohdfr dh izfr'kr

o"kZ	fo|qr 'kqYd ls NwV			enzkd 'kqYd ls NwV			LFkk;h iwath vuqnku			C;kt vuqnku		
	fo|qr 'kqYd ls NwVksa ds izdj.kksa dh dqy la[;k	fiNMs {ks=ksa esa	fiNMs {ks=ksa esa Lohdfr dk izfr'kr	enzkd 'kqYd ls NwVksa ds izdj.kksa dh dqy la[;k	fiNMs {ks=ksa esa	fiNMs {ks=ksa esa Lohdfr dk izfr'kr	LFkk;h iwath vuqnku ds izdj.kksa dh dqy la[;k	fiNMs {ks=ksa esa	fiNMs {ks=ksa esa Lohdfr dk izfr'kr	C;kt vuqnku ds izdj.kksa dh dqy la[;k	fiNMs {ks=ksa esa	fiNMs {ks=ksa esa Lohdfr dk izfr'kr
2011–12	41	3	7.30	8	0	0	29	11	37.90	11	1	9.10

15 मेसर्स एम आर एस इण्डस्ट्रीस

2012–13	36	1	2.80	9	0	0	23	11	47.80	10	2	20.00
2013–14	35	1	2.90	5	1	20	10	2	20.00	6	1	16.70
2014–15	29	4	13.80	3	0	0	4	0	0.00	10	0	0.00
2015–16	16	0	0.00	12	1	8.3	0	0	0.00	7	1	14.30
;kx	157	9	5-70	37	2	5-4	66	24	36-40	44	5	11-40

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य में कुल लाभान्वित उद्योगों के विरूद्ध पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को दिये गये छूटों एवं अनुदानों की संख्या बहुत कम थी, जो राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास के नीतियों के उद्देश्य को प्राप्त न करने को इंगित करता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाऐं एवं नक्सल प्रभावित उद्यमियों द्वारा उद्योगों की स्थापना से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा था। आगे चयनित तीन जि.व्य.उ.कें. के 15 उद्योगों के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि औद्योगिक नीतियों में राज्य के मूल निवासियों से संबंधित दिये गये मानकों का पालन किया जा रहा है। कर्मचारियों के मूल निवासी संबंधी पुष्टि करने हेतु शासन अन्य प्रमाण पत्र जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि को स्वीकार कर रही थी। जबकि मूल निवासी प्रमाण पत्र मूल निवासी से संबंधित एक मात्र मापदंड था, जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता की राज्य के मूल निवासियों विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत लाभान्वित हुए है की नहीं।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन द्वारा बताया गया कि शासन ने पिछडे क्षेत्रों में अतिरिक्त छूट पूर्व से ही घोषित कर दीया गया है। आगे शासन ने पिछडे क्षेत्रों के त्वरीत विकास के लिए अनेक कदम जैसे कि नये रेल लाईन को बिछाने एवं नये स्टील प्लांट की स्थापना किये है।

'kklu jkT; d fiNM {k=k d lrfyr fodkl gr mfpr dk;okgh dj rkfd औद्योगिक नीतियों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

2-30 fu"d"k

''औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत उद्योगों को दी गई छूटों एवं अनुदानों'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने निम्नानुसार देखा:

- उद्योग विभाग द्वारा ऊर्जा विभाग एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार औद्योगिक नीति में उर्पयुक्त प्रावधान नहीं किया था। परिणामस्वरूप शासन ने न केवल ₹ 6.03 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा अपितु ₹ 2.22 करोड़ भी न्यायायलयीन प्रक्रिया के तहत् लंबित थी।
- यद्यपि औद्योगिक नीति में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने हेतु समयावधि निर्धारित है किन्तु उद्योगों को दो नीतियों में से एक को चयन बाबत् विकल्प होने से तथा किसी एक नीति में छूट प्राप्त करने पर उसके बाद कोई निश्चित प्रावधान नहीं होने से उद्योगों को एक से अधिक नीतियों में छूट प्रदान की गई थी।
- समयावधि विवरणी तथा भौतिक सत्यापन हेतु रोस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके कारण ऐसे उद्योग जो छूट प्राप्त कर स्थापित नहीं हुये थे एवं ऐसे उद्योग जो निरंतर पाँच वर्ष तक कार्यरत नहीं थे की विभाग द्वारा निगरानी करने में विफल रहा। इन उद्योगों द्वारा राशि ₹ 7.38 करोड़ की छूटों/अनुदानों प्राप्त की गई।
- क्रियान्वित एजेंसी एवं संबंधित विभागों के मध्य आपसी समन्वय का अभाव था। समन्वय का अभाव एवं औद्योगिक नीति के उचित क्रियान्वयन के अभाव में औद्योगिक नीति के व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

- वणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग में छूट प्राप्त उद्योगों का उचित दस्तावेजिकरण का अभाव था, जिसके अभाव में विभाग द्वारा उद्योगों द्वारा औद्योगिक नीति में उल्लेखित विशेष शर्तों का पालन किया जा रहा है कि नहीं का निगरानी करने में असमर्थ रहा।

2-31 vuq'kalk,

- 'kklu vk|kfxd uhfr d iko/kkuk dk foHkkxh; vf/klpukvk d vuq:i j[ku grq lfuf'pr dju grq fopkj dj ldrh g rkfd 'kkldh; jktLo gkuh l cpk tk ldA
- 'kklu vk|kfxd uhfr e vko';d l'kk/ku dju ckcr fopkj dj dh m|kxk dk leLr ykHk ,d gh uhfr d rgr inku fd;k tk ld rkfd vk|kfxd uhfr d mí';k dh iwfrZ e gk jgh foyc dk Vkyk tk ldA
- 'kklu enkd 'kYd d Hkqxrku l NV grq tkjh vuqorh iek.k i= e okf.kfT;d mRiknu dh frfFk dk iqoorh tkjh iek.k i= d vuqlkj lhfer dju grq fopkj dj rkfd vk|kfxdj.k d ykHk le; e iklr gk ldA
- 'kklu fuxjkuh r= dk lqn<+ dju] m|kx ,o nqlj foHkkxk e leUo; LFkkfir dju ,o ykHkiu m|kxk dk MkVkcl r;kj dju grq mfpr dk;bkgh ckcr fopkj dj rkfd vk|kfxd uhfr;k d ykHk vik= m|kxk }kjk iklr u fd;k tk ld ,o
- 'kklu jkT; d fiNM {k=k d lrfyr fodkl grq mfpr dk;bkgh dj rkfd vk|kfxd uhfr;k d mí';k dk iklr fd;k tk ldA